प्रहरी
(संशोधित)

शासनादेश संग्रह भाग - 2

(SIEMAT)
STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT & TRAINING
Nanoorkheria Tapovan Enclave Dehradun Phone/Fax : 0135-2780304
E-mail : uksiemat@gmail.com

संदेश

संगठन की सतत् प्रगति तथा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उसके कार्मिकों, अधिकारियों, प्रशासकों तथा नियोजकों को विभागीय सेवा की शर्तों, मानकों तथा नियमों की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार के द्वारा राजकीय प्रणाली के संचालन तथा लोकहित के दृष्टिगत विभिन्न विभागों तथा संगठनों के लिए विभिन्न प्रकार की नियमावलियों को तैयार किया जाता है ताकि जनहित का कार्य प्रभावशाली ढंग से संचालित हो सके। इसके अतिरिक्त शासन के द्वारा भी समय–समय पर कार्मिकों तथा जनहित के दृष्टिगत प्रबंधकीय, वित्तीय, अकादमिक शासनादेशों को निर्गत किया जाता रहा है, ताकि विभिन्न स्तरों पर राजकीय कार्य सम्पन्न हो सके।

विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड राज्य का एक बड़ा संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्मिक, शिक्षक तथा शिक्षाधिकारी कार्यरत हैं। विभाग में विद्यालयों से लेकर निदेशालयों तक शिक्षक/कार्मिक कार्यरत हैं। अतः विभाग के कार्य नियमानुसार संचालित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक संस्थाध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली का संचालन त्रुटि रहित करे तथा अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा प्रभावी प्रबंधन क्षमता के साथ अपनी संस्था को गतिशीलता प्रदान करे।

संगठन में विभिन्न प्रकार के कार्मिकों के कार्यरत होने के फलस्वरूप उनकी सेवा की शर्तें भी भिन्न–भिन्न प्रकार की होती हैं अतः समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों की जानकारी सभी कार्यालयाध्यक्षों को होनी अनिवार्य है। कार्यालयाध्यक्षों तथा आहरण वितरण अधिकारियों की उक्त आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान ने वित्तीय शासनादेशों के संकलन करने की एक अभिनव पहल शुरू की है। प्रस्तुत संकलन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत विभिन्न प्रकार के नवीनतम वित्तीय शासनादेशों को संग्रह कर प्रकाशित किया गया है। समय–समय पर इन शासनादेशों के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि उक्त संकलन के द्वारा सभी कार्मिक, शिक्षक, शिक्षाधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी लाभान्वित होंगे तथा उन्हें वित्तीय जिज्ञासाओं के निराकरण में सहायता मिलेगी।

2/5/19

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्राक्कथन

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीमैट) द्वारा अपनी स्थापना के उपरान्त शिक्षाधिकारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता संवर्द्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। प्रशिक्षण के लिए संस्थान के द्वारा शिक्षाधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन कर प्रशिक्षण साहित्यों का निर्माण किया गया है। उक्त प्रशिक्षण साहित्य शिक्षा विभाग के लिए शासन द्वारा जारी किये गये विभिन्न प्रकार की नियमावलियों तथा शासनादेशों पर भी आधारित रहे हैं।

शिक्षाधिकारियों तथा विभिन्न प्रकार के कार्मिकों द्वारा समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों को उपलब्ध कराने की जिज्ञासा व्यक्त की जाती रही है जिनमें वित्तीय प्रबंधन तथा आहरण– वितरण कार्य संबंधी शासनादेशों की उपलब्धता की आवश्यकता अधिकांश कार्मिकों तथा शिक्षाधिकारियों द्वारा महसूस की गई है। वित्तीय प्रबंधन तथा वित्तीय अनुशासन सभी कार्यालयों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य वर्तमान समय में विद्यालय स्तर पर सभी नियमित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षाधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा मण्डल व राज्य स्तर पर वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय–समय पर इन अधिकारियों को कार्यालय तथा वित्तीय प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण के साथ वित्तीय शासनादेशों के संग्रह इन अधिकारियों के लिए लाभप्रद हो सकेगा।

इस आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वित्तीय नियमों से संबंधित शासनादेशों का संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि वित्तीय नियमों से संबंधित यह शासनादेश संग्रह सभी कार्मिकों, शिक्षकों तथा शिक्षाधिकारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शासनादेशों के इस संकलन के प्रकाशन हेतु निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी प्रेरणा से यह कार्य सम्पन्न हो सका है साथ ही इस कार्य हेतु मैं 'सीमैट' में कार्यरत विभागाध्यक्ष, प्रोफेशनल, जूनियर प्रोफेशनल तथा अन्य कार्मिकों का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके अथक प्रयास से यह कार्य समयान्तर्गत सम्पन्न हो सका है।

02.05.19

(शशि चौधरी)
अपर निदेशक
राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय सूची

1.	वेतन समिति उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में (17 अक्टूबर, 2008)।	1–30
2.	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के क्रम में लागू महंगाई भत्ते की दरें राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित करने के संबंध में (17 अक्टूबर, 2008)।	31–32
3.	प्रदेश में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में (12 जनवरी, 2009)।	33–36
4.	वेतन समिति उत्तराखण्ड(2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं 'ग्रेड पे' की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण (13 फरवरी, 2009)।	37–39
5.	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि के पुनरीक्षण के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	40–41
6.	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ते की दरों में संशोधन के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	42–44
7.	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	45–47
8.	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	48–49
9.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	50
10.	उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को विशेष भत्ते के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	51
11.	राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 के पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण (13 फरवरी, 2009)।	52–54
12.	दिनांक 01.01.2006 तथा उसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में (13 फरवरी, 2009)।	55–56
13.	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर मकान किराया भत्ता की दरों के संशोधन के संबंध में (16 फरवरी, 2009)।	57–58
14.	छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों में प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण (01 मार्च, 2009)।	59–64
15.	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों के वाहन संचालकों को प्रतिपूर्ति धनराशि के संबंध में (24 मार्च, 2009)।	65
16.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग–2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र संख्या–43ए को पुनरीक्षित किया जाना (29 जुलाई, 2009)।	66
17.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 10(2) एवं नियम 72(4) विषयक (25 अगस्त, 2009)।	67
18.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण (27 अक्टूबर, 2009)।	68–71
19.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था के संबंध में (05 नवम्बर, 2009)।	72

20.	एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन के अतिरिक्त नियमित रूप से स्वीकृत होने वाले मँहगाई भत्ते के संबंध मे (25 नवम्बर, 2009)।	73
21.	उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण (24 दिसम्बर, 2009)।	74
22.	उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में परिवहन भत्ते के संबंध में (24 दिसम्बर, 2009)।	75
23.	विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में (09 फरवरी, 2010)।	76
24.	समयमान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवाओं को जोड़ा जाना (22 फरवरी, 2010)।	77
25.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता दिया जाना (18 जून, 2010)।	78
26.	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग, जहाँ कार्यप्रभारित अधिष्ठान है में 09 अप्रैल, 2010 का स्पष्टीकरण के संबंध में (06 जुलाई, 2010)।	79--80
27.	राज्य सरकार के पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत के संबंध में (20 अगस्त, 2010)।	81
28.	एच0ए0जी0 6700 (3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि) एवं एपेक्स स्केल रू0 80,000 के नियत वेतन पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण (18 जून, 2010)।	82--83
29.	दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक 01.01. 2010 के मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण (20 अगस्त, 2010)।	84
30.	स्नातकोत्तर भत्ते के संशोधन किए जाने के संबंध में (10 सितम्बर, 2010)।	85
31.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय–5 में वाह्य स्रोत से सेवाएँ कराए जाने के संबंध में (16 सितम्बर, 2010)।	86
32.	राज्य कर्मचारियों को 01 जुलाई, 2010 से मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के संबंध में (26 अक्टूबर, 2010)।	87
33.	छठे केन्द्रीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के संबंध में (21 अक्टूबर, 2010)।	88--107
34.	पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे पर पदोन्नति में वेतनवृद्धि के संबंध में (29 अक्टूबर, 2010)।	108
35.	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध मे (26 अक्टूबर, 2010)।	109
36.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक (27 अक्टूबर, 2010)।	110
37.	पेंशन पुनरीक्षण हेतु 18 फरवरी, 2010 के संबंध में स्पष्टीकरण/संशोधन (29 अक्टूबर, 2010)।	111--114
38.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय--3 में निर्माण कार्य के शिथिलीकरण के संबंध में (04 नवम्बर, 2010)।	115
39.	राज्य कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 की व्यवस्था के संबंध में (08 मार्च, 2011)।	116--128
40.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के तकनीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में (08 मार्च, 2011)।	129--131
41.	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड के संबंध में (24 मार्च, 2011)।	132
42.	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना के संबंध में (24 मार्च, 2011)।	133

43.	वेतन विसंगति समिति के 11वें प्रतिवेदन में राजकीय वाहन चालक संवर्ग के सदस्यों के संबंध में (29 मार्च, 2011)।	134
44.	01.01.2006 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के वेतन बैण्डों के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण निरस्तीकरण के संबंध में (21 मार्च, 2011)।	135
45.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के संबंध में (18 अप्रैल, 2011)।	136
46.	राजकीय विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना के संशोधन के संबंध में (05 जुलाई, 2011)।	137
47.	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू किए जाने के संबंध में (08 जुलाई, 2011)।	138–140
48.	01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के 01.01.2011 से मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के संबंध में (30 सितम्बर, 2011)।	141
49.	राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं को बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में (13 अक्टूबर, 2011)।	142
50.	राज्य कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० से संबंधित शासनादेश के स्पष्टीकरण के संबंध में (14 अक्टूबर, 2011)।	143
51.	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों के पुनरीक्षण के संबंध में (14 दिसम्बर, 2011)।	144–145
52.	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कम्रचारियों के ए०सी०पी० के सम्बन्ध में (14 दिसम्बर, 2011)।	146–152
53.	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में (30 दिसम्बर, 2011)।	153
54.	एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के समान साफ्टवेयर विकसित कर लिए जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप (11 मई, 2015)।	154–156
55.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप वेतन/भत्तों की अवशेष(एरियर) के सम्बन्ध में (17 अक्टूबर, 2017)।	157
56.	प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में सत्रांत लाभ के सम्बन्ध में (25 अप्रैल, 2018)।	158–159
57.	ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के ए०सी०पी० के सम्बन्ध में (04 मई, 2018)।	160–161
58.	ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के ए०सी०पी० के सम्बन्ध में (04 मई, 2018)।	162
59.	पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में (12 सितम्बर, 2017)।	163–165
60.	पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल नियम–22 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प (07 फरवरी, 2018)।	166
61.	कर्मचारियों को ए०सी०पी०, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (28 नवम्बर, 2017)।	167–169
62.	राज्य में पी०एफ०एम०एस० को लागू करने के सम्बन्ध में (06 सितम्बर, 2016)।	170–171
63.	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के संशोधन के सम्बन्ध में (03 जनवरी, 2017)।	172

64.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण (04 जनवरी, 2017)।	173
65.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में (29 दिसम्बर 2018)।	174–175
66.	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में (28 दिसम्बर, 2016)।	176–194
67.	दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में (12 सितम्बर, 2017)।	195
68.	विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में दिशा–निर्देश (27 अप्रैल, 2018)।	196–206
69.	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में (23 जनवरी, 2019)।	207–209
70.	वेतन समिति उत्तराखण्ड(2016) के क्रम में मकान किराया भत्ता को संशोधित/पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में (23 जनवरी, 2019)।	210–211
71.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) यथावत रखने के सम्बन्ध में (23 जनवरी, 2019)।	212
72.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन भत्तों को समाप्त किए जाने के संबंध में (23 जनवरी, 2019)।	213
73.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया के संशोधन के संबंध में (30 दिसम्बर, 2016)।	214–218
74.	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में (30 दिसम्बर, 2016)।	219–222
75.	सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को महगाई राहत के संबंध में (19 जून, 2017)।	223–224
76.	राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनरों को महगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में (07 नवम्बर, 2017)।	225–226
77.	01.01.2006 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्तिक सरकारी सेवकों की पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया संशोधन के संबंध में (05 मई, 2017)।	227
78.	उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 (26 मई, 2017)।	228–234
79.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का संशोधन विषयक (15 अक्टूबर, 2018)।	235–237
80.	उत्तराखण्ड 'सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक', 2018 के सम्बंध में (13 अप्रैल, 2018)।	238–246

संख्या– 395 / **XXVII** / (7) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7   देहरादून: दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

विषय:– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के राजकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन शासनादेश संख्या–262 / XXVII / (7) / 2008 दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या 394 / XXVII / (7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों जो दिनांक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान पुनरीक्षित वेतन ढाँचा में संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड) / वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पान्डिंग) क्रमशः कालम 4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के पुनरीक्षित वेतन ढाँचे का तात्पर्य उसके कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर क्रमशः कालम–4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

4. वेतन बैंड में "वेतन" का तात्पर्य संलग्नक–1 के कालम–4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडो में आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति पर देय धनराशि से है।

5. संशोधित वेतन ढाँचे में अब मूल वेतन का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसके सोपानों हेतु संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7. संशोधित वेतन ढाँचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणाँक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:–

<u>उदाहरण –1</u>

1. वेतन बैंड–1 में वेतन (रू0 5200–20200)	–	रू0 5200/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 5200 + 210= रू0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/

उदाहरण –2

1. वेतन बैंड–2 में वेतन (रू0 9300–34800)	–	रू0 9300/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 405 पूर्णांकित रू0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 9300 + रू0 410= रू0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01–1–2006 से 30–6–2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1–1–2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–7–2006 से 31–12–2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1–7–2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–1–2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचे के वेतन बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनाँक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैंड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

10. ऐसे प्रकरणों में जहाँ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड मे वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वेतन उसी दिनाँक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर –8 के अनुसार अनुमन्य होगी।

11. जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा–

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जायेगा। उस तिथि को लागू महगाँई वेतन और पूर्व संशोधित महगाँई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणाँक से गुणा की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

12. संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती है:–

1– एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2– एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणाँक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

13. केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की स्थिति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम वेतन पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है । चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होगी जहाँ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया जायेगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000–275–13500 के वेतनमान को वेतन बैंड–2 तथा वेतन बैंड–3 में रखा गया है। राज्य में दिनाँक 1–1–1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनाँक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000–275–13500 में पुनरीक्षित किया गया। । अतः वेतनमान रू0 8000–275–13500 को वेतन बैंड–3 में रखा जाय।

15. दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे मे चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक–3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनाँक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चस्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी दिनाँक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढाँचे मे उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हो, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

21. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

22. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे और तदनुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

23. जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

24. वेतन समिति की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित दरों पर देय महगाँई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

25. शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते पूर्व की भाँति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होंगें।

26. सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक नहीं होती है। दिनॉक 1–1–2006 से नये संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उक्त सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनॉक 31–10–2008 तक विशेष वेतन/भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन /भत्ते को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथा जिनके वेतनमानों में दिनाँक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन /उच्चीकरण हुआ है। उन पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनाँक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढाँचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है तब पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हुए तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी। अर्थात इस प्रकार के मामलो में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूंकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे है; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावली एव संगठनात्मक ढाँचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कर लेगें.

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगाँई भत्ते का दिनाँक 1–9–2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनाँक 1–1–2006 से दिनाँक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तो में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009–2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी । जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं है उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

30. इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे है, जो दिनाँक 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। चूँकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेन्ट स्केल ही स्वीकृति किए जा रहे हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व उल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागो द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनाँक 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

संलग्नक–

(1) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
(2) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका।
(3) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 545(1)/XXVII/(7)/2008 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
2– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
3– रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 545(2)/XXVII/(7)/2008 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–395 / XXVII(7) / 2008 का संलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना / ढाँचा		
क0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01–01–2006 के पूर्व)	वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैंड / वेतनमान	सदृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

Fitment Tables

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	*6,070*	*1,300*	*7,370*
3,320	*6,180*	*1,300*	*7,480*
3,380	*6,290*	*1,300*	*7,590*

Pre-revised scale
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	*6,710*	*1,400*	*8,110*
3,670	*6,830*	*1,400*	*8,230*
3,735	*6,950*	*1,400*	*8,350*

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	*7,570*	*1,650*	*9,220*
4,140	*7,700*	*1,650*	*9,350*
4,210	*7,840*	*1,650*	*9,490*

Pre-revised scale
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs 1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	[illegible]
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	[illegible]
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	[illegible]
3,380	6,290	1,800	[illegible]
3,450	6,420	1,800	[illegible]
3,520	6,550	1,800	[illegible]
3,590	6,680	1,800	[illegible]
3,660	6,810	1,800	[illegible]
3,730	6,940	1,800	[illegible]
3,800	7,070	1,800	[illegible]
3,875	7,210	1,800	[illegible]
3,950	7,350	1,800	[illegible]
4,025	7,490	1,800	[illegible]
4,100	7,630	1,800	[illegible]
4,175	7,770	1,800	[illegible]
4,250	7,910	1,800	[illegible]
4,325	8,050	1,800	[illegible]
4,400	8,190	1,800	[illegible]
4,475	8,330	1,800	10,130
4,550	8,470	1,800	10,270
4,625	8,610	1,800	[illegible]

Pre-revised scale
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.[illegible]

Pre-revised Basic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the Pay Band	**Grade Pay**	**Revised Basic Pay**
3,050	5,880	1,900	[illegible]
3,125	6,060	1,900	[illegible]
3,200	6,060	1,900	[illegible]
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	[illegible]
3,575	6,650	1,900	[illegible]
3,650	6,790	1,900	[illegible]
3,725	6,930	1,900	[illegible]
3,800	7,070	1,900	[illegible]
3,875	7,210	1,900	[illegible]
3,950	7,350	1,900	[illegible]
4,030	7,500	1,900	[illegible]
4,110	7,650	1,900	[illegible]
4,190	7,800	1,900	[illegible]
4,270	7,950	1,900	[illegible]
4,350	8,100	1,900	[illegible]
4,430	8,240	1,900	[illegible]
4,510	8,390	1,900	[illegible]
4,590	8,540	1,900	[illegible]
4,670	8,690	1,900	10,590
4,750	8,840	1,900	10,740
4,830	8,990	1,900	10,890

-6-

Pre-revised scale .
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

Pre-revised scale :
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs. 2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	[illegible]
4,200	7,820	2,400	[illegible]
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	[illegible]
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	[illegible]
5,000	9,300	2,400	[illegible]
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	[illegible]
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	[illegible]
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	*11,350*	*2,400*	*13,750*
6,200	*11,540*	*2,400*	*13,940*
6,300	*11,720*	*2,400*	*14,120*

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	*13,260*	*2,800*	*16,060*
7,250	*13,490*	*2,800*	*16,290*
7,375	*13,720*	*2,800*	*16,520*

Pre-revised scale	∴	**Revised Pay Band + Grade Pay**
Rs.5500-175-9000		PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	17,070	4,200	21,270
9,350	17,400	4,200	21,600
9,525	17,720	4,200	21,920

Pre-revised [illegible]

Pre-revised scale
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	*19,910*	*4,200*	*24,110*
10,900	*20,280*	*4,200*	*24,480*
11,100	*20,650*	*4,200*	*24,850*

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	[illegible]
9,250	17,210	4,600	[illegible]
9,475	17,630	4,600	[illegible]
9,700	18,050	4,600	[illegible]
9,925	18,470	4,600	[illegible]
10,150	18,880	4,600	[illegible]
10,375	19,300	4,600	[illegible]
10,600	19,720	4,600	[illegible]
10,825	20,140	4,600	[illegible]
11,050	20,560	4,600	[illegible]
11,275	20,980	4,600	[illegible]
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,500	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	22,790	4,800	27,590
12,500	23,250	4,800	28,050
12,750	23,720	4,800	28,520

- 14

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

Pre-revised scale	Revised Pay Band + Grade Pay
Rs.10650-325-15850	PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	[illegible]
14,550	27,070	6,600	[illegible]
14,875	27,670	6,600	[illegible]
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	*30,090*	*6,600*	*36,690*
16,500	*30,690*	*6,600*	*37,290*
16,825	*[illegible]*	*6,600*	*37,900*

Pre-revised scale Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	[illegible]
12,375	23,020	7,600	[illegible]
12,750	23,720	7,600	[illegible]
13,125	24,420	7,600	[illegible]
13,500	25,110	7,600	[illegible]
13,875	25,810	7,600	[illegible]
14,250	26,510	7,600	[illegible]
14,625	27,210	7,600	[illegible]
15,000	27,900	7,600	[illegible]
15,375	28,600	7,600	[illegible]
15,750	29,300	7,600	[illegible]
16,125	30,000	[illegible]	[illegible]
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
17,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

Pre-revised scale	Revised Pay Band + Grade Pay
Rs.14300-400-18300	PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	[illegible]
14,700	37,400	8,700	[illegible]
15,100	38,530	8,700	[illegible]
15,500	38,530	8,700	[illegible]
15,900	39,690	8,700	[illegible]
16,300	39,690	8,700	[illegible]
16,700	40,890	8,700	[illegible]
17,100	40,890	8,700	[illegible]
17,500	42,120	8,700	[illegible]
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	*43,390*	*8,700*	[illegible]
19,100	*44,700*	*8,700*	[illegible]
19,500	*44,700*	*8,700*	[illegible]

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + [illegible]

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	[illegible]	[illegible]
16,850	40,890	[illegible]	[illegible]
17,300	40,890	[illegible]	[illegible]
17,750	42,120	[illegible]	[illegible]
18,200	42,120	[illegible]	[illegible]
18,650	43,360	[illegible]	[illegible]
19,100	43,360	[illegible]	[illegible]
19,550	44,700	[illegible]	[illegible]
20,000	44,700	[illegible]	[illegible]
20,450	46,050	[illegible]	[illegible]
20,900	46,050	[illegible]	[illegible]
21,350	47,440	[illegible]	[illegible]

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	*53,410*	*10,000*	*63,410*
23,400	*55,020*	*10,000*	*65,020*
23,900	*56,680*	*10,000*	*66,680*

Note The last three stages in each of the pay scales above relate to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale.

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade* Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale	Revised Pay Scale
Rs.26000 (fixed)	Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या:396 / xxvii(7) / 2008
देहरादून:दिनाक:17 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–केन्द्र सरकार के छठें वेतन आयोग के कम में लागू महगाई भत्ते की दरें राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिये जाने विषयक राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के कम मे निर्गत शासनादेश संख्या395 / xxvii(7) / 2008दिनांक 17अक्टूबर / 2008 द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों पर निम्नानुसार महगाई भत्ता अनुमन्य कराया जाय–

महगाई भत्ते की दरें लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य कुल महगाई भत्ते का प्रतिशत
1–1–2006से	महगाई भत्ता देय नहीं है
1–7–2006 से	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1–1–2007से	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1–7–2007 से	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1–1–2008 से	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1–7–2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

2– उपरोक्त तिथियों तथा दरो पर महगाई भत्ते का भुगतान पूर्व मे शासनादेश संख्या संख्या 29 / xxvii(7) / 2006 दिनाक 26 अप्रैल,2006 द्वारा दिनांक 1–1–2006 से शासनादेश संख्या 29(1) / xxvii(7) / 2006 दिनांक 29 सितम्बर 2006, द्वारा दिनाक 1–7–2006से शासनादेश संख्या 29 / xxvii(7) / 2007 दिनांक 24 अप्रैल 2007 द्वारा 1–1–2007 से एवं शासनादेश संख्या 279 / xxvii (7) म0 भ0 / 2007 दिनांक 1अक्टूबर 2007 द्वारा दिनाक 1–7–2007 से, शासनादेश संख्या 18 / xxvii(7)म0भ0 / 2008 दिनाक 21 मार्च 2008 द्वारा दिनाक 1–1–2008 से स्वीकृत किये गये महगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरान्त किया जाएगा ।

3– दिनाक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड–वेतन को जोड़कर

जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा । इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4—मंहगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत की स्वतन्त्र अनुमन्यता है, इसे मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा ।

5—मंहगाई भत्ते के आगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा और यदि आगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे अगले रूपये में मान लिया जाय।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या:396(1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूडकी को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 12 जनवरी 2009

विषय : **प्रदेश में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों/वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों) तक गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश के समस्त राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा गारण्टी केन्द्रों/वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले समस्त बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार व प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित की जाती है। राज्य सरकार की यह योजना सर्वोच्च वरीयता प्राप्त योजना है।

2. विभिन्न विद्यालयों के अनुश्रवण तथा समय–समय पर समाचार–पत्रों/मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि निःशुल्क खाद्यान्न का ढुलान विद्यालयों तक नहीं किया जा रहा है तथा जिस कारण विद्यालयों में खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी की शिकायतें पाई गई हैं। गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति विद्यालय स्तर तक बनाये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

(1) खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था :

शासन द्वारा विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न ढुलान के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल ऐजेन्सी नामित किया गया है। वर्तमान में विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा नहीं की जा रही है। अतः भारतीय खाद्य निगम से विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति के लिए जिला पूर्ति अधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी सस्ते गल्ले विक्रेता की दुकान से विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न का ढुलान, सम्बन्धित सस्ते गल्ले विक्रेता के माध्यम से करायेंगे। किसी भी दशा में बच्चों के

अधिकारी व अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) उत्तरदायी होंगे।

जनपद के अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), पटवारी द्वारा प्रमाणित सस्ते गल्ले की दुकान से विद्यालय तक की दूरी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सी0आर0सी0/ बी0आर0सी0 के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी, गल्ला विक्रेता की दुकान से विद्यालय की दूरी के आधार पर, ढुलान भाड़े की माँग सम्बन्धित जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित ढुलान की दरों के आधार पर, राज्य परियोजना कार्यालय के मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेंगे।

सस्ते गल्ले विक्रेता द्वारा अनुमोदित दरों पर विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न का ढुलान न किये जाने की स्थिति में उक्त दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(2) खाद्यान्न की माँग प्रस्तुत करना:

वर्तमान में अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के द्वारा खाद्यान्न की माँग प्रत्येक माह की छात्र–संख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी से की जाती है। इस व्यवस्था से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में छात्र–संख्या के विलम्ब से प्राप्त होने पर खाद्यान्न का निश्चित समय पर उठान नहीं हो पाता है। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) वर्ष में दो बार (प्रथम 10 मार्च, गत वर्ष की 30 सितम्बर की छात्रसंख्यानुसार तथा द्वितीय 10 अक्टूबर, वर्तमान वर्ष की 30 सितम्बर की छात्र संख्यानुसार) विद्यालयवार छात्र संख्या व माहवार खाद्यान्न की माँग जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उसी छात्र संख्या व माँग के आधार पर एफ0सी0आई0/आर0एफ0सी0 से खाद्यान्न प्राप्त कर राशन विक्रेताओं के माध्यम से विद्यालयों/केन्द्रों पर वितरण करायेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय/केन्द्र पर कम से कम एक माह का बफर स्टॉक उपलब्ध रहे।

जिला पूर्ति अधिकारियों को खाद्यान्न एक माह पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अग्रिम के रूप में उठाना होगा। भारतीय खाद्य निगम व क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक के द्वारा भी खाद्यान्न का एक माह का अग्रिम आवंटन किया जाना होगा। विद्यालय में आगामी माह का खाद्यान्न गत माह की 25 तारीख तक हर स्थिति में प्राप्त हो जाना चाहिये।

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आगामी माह का उठान प्राप्त कर गत माह का उपभोग प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) अधिक से अधिक माह विलम्ब से अर्थात माह दिसम्बर

सस्ता गल्ला विक्रेता विद्यालय को पूरी मात्रा में खाद्यान्न तौल कर उपलब्ध करायेगा तथा प्रमाण–पत्र देगें कि यह खाद्यान्न अमुक माह का है तथा इसकी मात्रा इतनी कि0ग्रा0 अथवा कुन्तल है। यह प्रमाण–पत्र समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने खाद्यान्न वितरण पंजिका में सुरक्षित रखना होगा।

(5) खाद्यान्न के खाली बोरों का निस्तारण :

गत वर्ष के ऑडिट में यह बात उभरकर आई है कि सस्ते गल्ला विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न के साथ बोरे उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं तथा विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न के खाली बोरों का भण्डारण नहीं किया जा रहा है। चूँकि भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम को बोरों सहित खाद्यान्न का मूल्य चुकाती है, अतः खाली बोरे शिक्षा विभाग की सम्पत्ति है।

आगे से सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा प्रति 50 कि0ग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दशा में विद्यालय को बोरा भी उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधानाध्यापक की यह भी जिम्मेवारी होगी की वह प्रत्येक दशा में उक्त खाली बोरों का भण्डारण अपने विद्यालय में कर उनकी विधिवत नीलामी करा दें।

3– अतः उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय–समय पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4– यह शासनादेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या व दिनांक तद्दैव

1. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशालय के माध्यम से)।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अथवा भारतीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) खाद्यान्न की गुणवत्ता :

योजना के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में अनुश्रवण के दौरान यह बात उभरकर आयी है कि कतिपय विद्यालयों में वितरित खाद्यान्न की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अतः गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न के रूप में वितरित चावल फेयर एवरेज क्वालिटि (FAQ) अथवा ग्रेड–ए चावल जो भी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध हो, अनुमन्य है।

एफ0सी0आई0 द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सस्ते गल्ले विक्रेता को तथा सस्ते गल्ले विक्रेता द्वारा विद्यालय में आपूर्तित खाद्यान्न का नमूना अपने पास माहवार सुरक्षित रखना होगा, जिसका परीक्षण आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।

खाद्यान्न की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान करने वाले के द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा अर्थात सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के द्वारा भारतीय खाद्य निगम को, जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को, सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सस्ते गल्ले विक्रेता को यह प्रमाण–पत्र देना होगा की उसके द्वारा इस माह में आवंटित खाद्यान्न कॉमन या ग्रेड–ए जैसा उपलब्ध हो उठाया गया है तथा उसकी गुणवत्ता उत्तम स्तर की है।

किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी/सस्ते गल्ले विक्रेता के ऊपर कार्यवाही की जायेगी। प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य खाद्यान्न को ग्रेन बिन (बॉक्स) में स्टोर करेगें। किसी भी दशा में खाद्यान्न का भण्डारण नमीयुक्त स्थान अथवा खुले में नहीं किया जायेगा।

(4) खाद्यान्न का उठान पूरी मात्रा में सुनिश्चित करना :

अनुश्रवण में यह भी पाया गया है कि सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा विद्यालय में पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है अथवा खाद्यान्न का जो बैग उपलब्ध कराया जाता है उसमें निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को यह भी नहीं बताया जाता है कि उसे किस माह का कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

संख्या: 25/xxvii(7)द्वि0प्रति0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0-7 देहरादून:दिनाँक: n,फरवरी,2009

विषय:- वेतन समिति(2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0 सी0,ए0 आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या:वे0आ0-2-1007/दस-17 जी-1998 दिनांक 10 जुलाई 1998, संख्या-वे0आ0-2-1282/दस-17(जी)98 दिनांक 7 अक्टूबर,1998 तथा संख्या:163/वि0 अनु0-3/2001 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण एवं शासनादेश संख्या:2363/15-8-98/3004(2)/98 दिनांक 17 अक्टूबर,1998 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/ग्रैच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया गया था ।

2-प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों के क्रम में

राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0 जी0 सी0,ए0आई0 सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे उक्त वर्ग के शिक्षण संस्थाओं के उक्त तिथि से वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु समस्त मूलभूत सिद्धान्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से केन्द्र सरकार के कर्मियों के समान संस्तुत प्रतिस्थापित वेतनमानों के अनुसार निर्गत शासनादेश संख्या 395 /xxvii (7)/2008 दिनांक:17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही पुनरीक्षित किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर व्यय का अनुपात 10:1 से अधिक नहीं रखा जाना चाहिये और इसे और भी कम किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

2–नेशनल असेसमेंट एण्ड एकरीडिटेशन काउन्सिल(एन0ए0ए0सी0) अथवा अन्य सक्षम एजेन्सी से अनुदानित संस्थाओं का मूल्यांकन कराया जाय एवं जो संस्थायें न्यूनतम मानक पूर्ण नहीं करती हैं उन्हें नोटिस दिया जाय और निर्धारित्त समय अवधि में सुधार परिलक्षित न होने व मानक पूर्ण न होने पर संस्था को अनुदान सूची से हटाये जाने की कार्यवाही की जाय।

3–इन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु यदि पूर्व से राज्य सरकार के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से यदि एकरूपता रखी गयी है तो आगे भी एकरूपता रखी जाय।

2–उक्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उक्तानुसार दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों पर महंगाई भत्ता पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:396/xxvii(7)दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य होगें ।

3–उक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0 सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पेंशन का पुनरीक्षण राज्य

सरकार के कर्मियों के लिए निर्गत शासनादेश संख्या:419/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 एवं संख्या:421/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार ही किया जाएगा और उक्त पुनरीक्षित पेंशन पर मंहगाई राहत शासनादेश संख्या:420/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4-शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008, दिनांक: 17अक्टूबर,2008 के प्रस्तर-29 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या:16/xxvii(7)/2008, दिनांक:19जनवरी,2009 के अनुसार अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

5-दिनांक 1-1-2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1-1-2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष के भुगतान के विषय में पूर्व निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या 419/ xxvii(7)/2008, दिनांक: 27अक्टूबर,2008 के प्रस्तर-12 की व्यवस्था को शासनादेश संख्या 16/xxvii(7)/2009, दिनांक: 19जनवरी,2009 द्वारा संशोधित कर अब भुगतान 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जाएगा।

6-इस संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 जुलाई,1998,7 अक्टूबर,1998, दिनांक17 अक्टूबर,2008, दिनांक27 अक्टूबर, 2008 एवं दिनाक 19 जनवरी,2009 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इनके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेगें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या: 37/xxvii(7)सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक: 13फरवरी,2009

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रू02800 तक	100	30	70	1,00,000
2	रू0 2801 से रू0 5400	200	60	140	2,00,000
3	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक

अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क)उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च,2009 का वेतन देय 1 अप्रैल,2009 से प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(ख)पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।

(ग)वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(घ)उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 16/xxvii(7) सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर,2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 37 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: 38 / XXVII(7)म0वि0 / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनांक 13 फरवरी,2009

विषय:–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या:132 / वि0अनु0–3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के द्वारा प्रदेश के नगरों / नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था, शासनादेश संख्या 444 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 13 जून,2002 के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता एवं शासनादेश संख्या 916 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 5 जून,2003 के द्वारा नैनीताल के शहरी क्षेत्र एवं पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में क्रमशः आयुक्त कुमायूं मण्डल एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल के कार्यालय अर्थात मण्डलीय मुख्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप इन नगरों को "बी 2" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया था। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के समतुल्य अनुमन्य ग्रेड पे के आधार पर "बी 2" श्रेणी [illegible] का 75 प्रतिशत, "सी" श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों को 50 प्रतिशत तथा

समस्त "अवर्गीकृत क्षेत्रों" को 40 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी-2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, हरिद्वार,(शहरी क्षेत्र)काशीपुर, रूद्रपुर,हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की(शहरी) अल्मोड़ा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मसूरी, पिथौरागढ़, टिहरी,पौड़ी गढ़वाल(शहरी क्षेत्र) गोपेश्वर(चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग।	"अवर्गीकृत श्रेणी" उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1	1300	975	650	520
2	1400	1050	525	560
3	1650	1238	825	660
4	1800	1350	900	720
5	1900	1425	950	760
6	2000	1500	1000	800
7	2400	1800	1200	960
8	2800	2100	1400	1120
9	4200	3150	2100	16[illegible]
10	4600	3450	2300	1840
11	4800	3600	2200	1920
12	5400	4050	2700	2160
13	6600	4950	3300	2640
14	7600	5700	3800	3040
15	8700	6525	4350	3480
16	8900	6675	4450	3560
17	10,000	7500	5000	4000
18	12,000	9000	6000	4800

3–ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4–अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5–ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

6–संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते है। अथवा अपनी निजी आवास में निवास करते हैं ।

7–ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी०, ए०आई०सी० टी०ई०, आई० सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या132 / वि०अनु०-3 / 2001 दिनांक18 दिसम्बर,2001एवं संख्या444 / वि०अनु०-3 / 2002 दिनांक 13 जून,2002 की उक्त दरों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

8–यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होंगें ।

9–अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 31/xxvii(7)प0वि0भ0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक 13 फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या:692/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 11 फरवरी,2003 के द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों मे तैनात पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियो को वेतन स्लैब के आधार पर पर्वतीय विकास भत्ता एवं शासनादेश सं0- 1164/28–4- 2000- 2(4)/91 दिनांक 31 जून,2000 के द्वारा सीमान्त विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया था।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनाक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा सम्प्रति सीमान्त जनपदों मे तैनात कार्मिको को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता

समाप्त करने तथा उसके स्थान पर उक्तानुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं0	ग्रेड वेतन / वेतनमान (रू0)	पर्वतीय विकास भत्ते की संशोधित दर
1.	1300	150
2.	1400	150
3.	1650	165
4.	1800	180
5.	1900	190
6.	2000	200
7.	2400	240
8.	2800	280
9.	4200	420
10.	4600	460
11.	4800	480
12.	5400 या इससे अधिक	540

3-ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4-अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5-एक हजार मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता देय नहीं होगा, यद्यपि एक हजार मीटर की ऊँचाई के मध्य पड़ने वाली घाटियों(भले ही इनकी ऊँचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्हीकरण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य होगा ।

6-ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया

गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के पर्वतीय विकास भत्ता सीमान्त भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 11 फरवरी,2003 इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

7--यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

8--अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 39 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तर खण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: ५२/xxvii(7)प0वि0भ0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनाँक: 13फरवरी,2009

विषय:–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरो में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या:–जी–1–1753/दस–534(46)–76 दिनांक 31 अगस्त,1978तथा इसके कम में समय–समय पर संशोधित शासनादेशों के द्वारा सार्वजनिक उपकमों, निगमों आदि में सरकारी सेवकों एवं शासनादेश संख्या 209/xxvii(7)/2009 दिनांक 16 नवम्बर,2006 के द्वारा विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में सार्वजनिक उपकमों, निगमों आदि एवं विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0 टी0 डी0 ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में यदि उसी स्टेशन पर तैनाती होती है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के बराबर तथा यदि स्टेशन के बाहर तैनाती होती है तो ग्रेड–पे के 20 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, कि वेतन बैण्ड में वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता का योग रू0 39,100 से अधिक नहीं होगा,

3-उपरिउल्लिखित शासनादेश 31 अगस्त,1978 तथा इसके क्रम मे समय-समय पर संशोधित शासनादेश एवं दिनांक 16 नवम्बर,2006 शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

4-यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

5-अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५२ (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: 40/XXVII(7)स्वै0परि0क0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनाँक: 13फरवरी,2009

विषय–स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों,जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से4 के मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क)जिन कर्मचारियों को 1 सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस राशि को दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय ।

(ख)दिनांक 31अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि को ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा ।

3–उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16 –11 –79 –9 – 153–99 दिनांक 23 फरवरी,1980 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

भवदीय,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या: 43/xxvii(7)/2009
देहरादून:दिनांक: 13 फरवरी,2009

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी विशेष भत्ते की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी समान आधार पर उपलब्ध कराते हुए अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव तथा समकक्षीय पदो पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवा के अधिकारियों को कमशः रू0 600/–,800/–,900/व रू0 1000/–का मासिक विशेष भत्ता कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 268/xxvii(7)/2006 दिनांक 24 नवम्बर,2006 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 इस सम्बन्ध मे अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिको के वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये हैं। वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में सचिवालय विशेष भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतिया राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गइ है। अतः श्री राज्यपाल राज्य सिविल सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के सचिवालय में अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं अन्य समकक्षीय पदों पर तैनात अधिकारियों का विशेष भत्ता उन्हें अनुमन्य ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की इस प्रतिबन्ध के के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वेतन बैण्ड में वेतन,विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी वेतन का योग किसी भी दशा में रू0 67000/–से अधिक नहीं होगा ।

3–उक्तानुसार दरो का पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल,2009 से लागू होगा।

4–उक्त के फलस्वरूवरूप इस संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 नवम्बर,2006 इस कार्यालय ज्ञाप के प्रभावी होने की दिनांक से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या: २७/XXVii(7)(रप0–1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:13फरवरी,2009

विषय:– राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानो की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या:395/XXVii(7)/2008,दिनांक:17अक्टूबर,2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:395/XXVii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग/संगठनों/संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या:395/XXVii(7)/2008, दिनांक: 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरूप देने की व्यवस्था है । ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरूप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3–उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति/चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी। एतद्द्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

4–वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक17अक्टूबर,2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी । यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण/वितरण

अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5–दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड–पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति/चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांक 15–1–2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प मे परिवर्तन कर सकता है । उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी ।

6–वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी । इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है । अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन् वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7–शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

8–दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एव ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

वित्तीय वर्ष2008-09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:27(1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500प्रतियां प्रकाशनार्थ
12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

संख्या: 41/xxvii(7)सी0भर्ती0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनांक 13फरवरी,2009

विषय:–दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। उक्त शासनादेश के संलग्नक–2 में उल्लिखित फिटमैन्ट टेबिल मे उक्त तिथि के पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के लिए वेतन निर्धारण की व्यवस्था तो की गई है लेकिन दिनांक1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण की कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की गई है। विभिन्न सेवा संघो के द्वारा इस संबध मे स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिये निम्नवत वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाये:–

वेतन बैंड–1(रू0 5200–20200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड मे वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैंड-2(रू09300-34800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैंड-3(रू015600-39100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैंड-4(रू0 37400-67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

2-ऐसे प्रकरणों में, जहाँ पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियाँ (अर्थात सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान(वेतनमानों)में मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता) संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

3-अतः उक्त श्रेणी के सीधी भर्ती के कार्मिकों के लिए उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए भी विकल्प की तिथि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक अंतिम बार बढ़ाई जा रही है। उक्त तिथि के बाद विकल्प की तिथि अग्रेतर नहीं बढ़ाई जाएगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:61 /XXVII(7)म0कि0 / 2009

प्रेषक,

टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 देहरादून:दिनांक: 16 फरवरी,2009

विषय:--वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन का शुद्धि पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या:38XXVII(7)म0कि0 / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में दी गई तालिका को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् पढ़ा जाये:

क्र0सं0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी-2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय तथा हरिद्वार,उधम सिंहनगर (रूद्रपुर) अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, गोपेश्वर (चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा काशीपुर,हल्द्वानी तथा काठगोदाम, भवाली, लालकुआं, मुक्तेश्वर, रूड़की मसूरी के नगर। पालिका क्षेत्र(शहरी क्षेत्र)	"अवर्गीकृत श्रेणी" "श्रेणी बी-2" एवं श्रेणी "सी" के शहरों को छोड़कर अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	700	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1680

10.	4600	3450	2300	1840
11.	4800	3600	2400	1920
12.	5400	4050	2700	2160
13.	6600	4950	3300	2640
14.	7600	5700	3800	3040
15.	8700	6525	4350	3480
16.	8900	6675	4450	3560
17.	10,000	7500	5000	4000
18.	12,000	9000	6000	4800

शासनादेश संख्या:38xxvii(7)ओपि0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: 61 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0सी0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या–74/XXVII(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 | देहरादून: दिनांक: 1 मार्च, 2009

विषय:– छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, (2008) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमान से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा की गयी है।

2–वेतन समिति (2008) ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भाँति राज्य सरकार के शिक्षकों को भी उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–1–2009 से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है। वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय, शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 के श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–4 में उल्लिखित वेतनमान के सादृश्य कालम–5 एवं 6 में क्रमशः उल्लिखित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–2009 से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) नियमित रूप से एक निश्चित समय अन्तराल में शिक्षकों की दक्षता एवं कार्यकुशलता का आंकलन किया जाना चाहिए तथा उच्चतर वेतनमान देते समय आंकलन के परिणामों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद/प्रथम अथवा ऐसी ही

किसी संस्था से प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम तैयार कराये जाने चाहिए एवं कार्यकुशलता के आंकलन हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। Achievement व Output स्पष्ट नहीं है अतः Incentive/Disincentive के मानक निर्धारित किये जायें।

(2) शासकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय, केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों के गत तीन वर्षों के दसवीं व बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों की रैंकिंग की जाये तथा सम्बन्धित शिक्षकों की कार्यकुशलता का आकलन किया जाये।

(3) शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं, कदाचित यह राज्य को शिक्षा हब (Education Hub) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सके।

(4) शिक्षा विभाग में शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग अलग-अलग गठित किये जाने चाहिए तथा शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक अध्यापन कार्य संचालित करते रहें एवं राज्य सेवा से सीधी भर्ती द्वारा आने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य में लगाया जाये। इन दोनों संवर्गों की संवर्गीय नियंत्रण की व्यवस्था अलग-अलग की जानी चाहिए।

(5) संविधान के तिहत्तरवें व चौहत्तरवें संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को निचले स्तर पर पहुँचाया गया है एवं व्यवस्थाओं में जन सहभागिता बढ़ाई गयी है। समिति का मत है कि शिक्षकों के कार्यों के मूल्यांकन हेतु यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का सहयोग लिया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन में खरे न उतरने वाले शिक्षकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। यदि अशासकीय विद्यालयों का प्रबन्ध तंत्र कार्यवाही न करे तो उनका वित्त पोषण समाप्त किया जाना चाहिए तथा मान्यता भी समाप्त की जानी चाहिए।

(6) प्रथमतः अध्यापकों का स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं होना चाहिए। प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए जनपदीय संवर्ग होना चाहिए तथा उनके स्थानान्तरण जनपद में ही होने चाहिए। माध्यमिक तथा हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति भले ही प्रदेश स्तर पर हो किन्तु स्थानान्तरण यथा संभव जनपद के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

3–काल्पनिक आधार पर उच्चीकृत किये गये वेतनमान के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चीकृत वेतनमान के भुगतान की प्रक्रिया समदिनांकित शासनादेश संख्या-25/XXVII(7)/2009 द्वारा

संख्या-27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार रहेंगे।

4-उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008, एवं समदिनांकित शासनादेश संख्या-25/XXVII(7)/2009 तथा संख्या-27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन रु0 8000-13,500 के अपुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 1-1-2006 से वेतन बैण्ड-2 में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे का निर्धारण संलग्नक-2 के अनुसार किया जाएगा। यदि संलग्नक-2 में उल्लिखित रु0 8000-13,500 के अपुनरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता के पदधारकों का वेतन पुनरीक्षण वेतन बैण्ड-3 में किया गया हो, तब उनका वेतन निर्धारण संलग्नक-2 की फिटमेन्ट तालिका अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या- 74 (1)/XXVII(7)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4- समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून
6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या-74/XXVII(7)/2009 का संलग्नक-1

क्र० सं०	अध्यापक	वर्तमान वेतनमान/ग्रेड	उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	बेसिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षक				
	(क) साधारण वेतनमान	4500-7000	ग्रेड-III 6500-10500	वेतन बैण्ड-2	4200
	(ख) चयन वेतनमान	5000-8000	ग्रेड-II 7450-11500	वेतन बैण्ड-2	4600
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-I 7500-12000	वेतन बैण्ड-2	4800
2	प्रधानाध्यापक प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक				
	(क) साधारण वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-III 7450-11500	वेतन बैण्ड-2	4600
	(ख) चयन वेतनमान	6500-10500	ग्रेड-II 7500-12000	वेतन बैण्ड-2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	7500-12000	ग्रेड-I 8000-13500	वेतन बैण्ड-2	5400
3	प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक				
	(क) साधारण वेतनमान	6500-10500	ग्रेड-III 7500-12000	वेतन बैण्ड-2	4800
	(ख) चयन वेतनमान	7500-12000	ग्रेड-II 8000-13500	वेतन बैण्ड-3	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	8000-13500	ग्रेड-I 10000-15200	वेतन बैण्ड-3	6600
4	माध्यमिक शिक्षा 1-एल०टी०शिक्षक				
	(क) साधारण वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-III 7450-11500	वेतन बैण्ड-2	4600
	(ख) चयन वेतनमान	6500-10500	ग्रेड-II [illegible]	वेतन बैण्ड-2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	7500-12000	ग्रेड-I 8000-13500	वेतन बैण्ड-2	5400

5	2—प्रवक्ता				
	(क)साधारण वेतनमान	6500—10500	ग्रेड—III 7500—12000	वेतन बैण्ड—2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	7500—12000	ग्रेड—II 8000—13500	वेतन बैण्ड—3	5400
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	8000—13500	ग्रेड—I 10000—15200	वेतन बैण्ड—3	6600
6	3—प्रधानाध्यापक हाई स्कूल				
	(क)साधारण वेतनमान	7500—12000	ग्रेड—II 8000—13500	वेतन बैण्ड—3	5400
	(ख)चयन वेतनमान	8000—13500	ग्रेड—II 10000—15200	वेतन बैण्ड—3	6600
7	4—प्रधानाचार्य	10000—15200	12000—16500	वेतन बैण्ड—3	7600

शासनादेश संख्या 74 /XXVII(7)/2009 का संलग्नक 2

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	14,880	5,400	20,280
8,275	15,400	5,400	20,800
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	*25,630*	*5,400*	*31,030*
14,050	*26,140*	*5,400*	*31,540*
14,325	*26,650*	*5,400*	*32,050*

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)–7
संख्या: ८७/xxvii(7)/2009
देहरादून:दिनांक: २५मार्च,2009

कार्यालय–ज्ञाप

कार्मिक विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1710/xxx(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर,2007 के द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को भी उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें महगाई भत्ता सम्मिलित नही है, अनुमन्य किया गया है। कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 13 नवम्बर,2007 के अनुसार प्रतिपूर्ति/मानदेय के बिल कोषागार को प्रस्तुत किये जाने पर कोषागार द्वारा आपत्ति लगाते हुए सम्बन्धित बिल वापस कर दिये गये हैं कि वेतन बैण्ड में देय मूल वेतन ही देय होगा उस पर देय ग्रेड वेतन को मूल वेतन में नहीं लिया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा वेतन समिति उत्तराखण्ड के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 मे यह उल्लिखित किया गया है कि संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" का तात्पर्य "उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा,परन्तु इसमें विशेष वेतन,वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।" प्रदेश के वाहन चालकों को 1 माह का वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने की व्यवस्था पूर्व से निर्गत शासनादेशों में है। अतः वाहन चालकों को मानदेय के भुगतान हेतु मूल वेतन का आशय उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 के अनुसार वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग से है। उक्त के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से वित्तीय वर्ष 2008–09 मे लागू किये गये है,वित्तीय वर्ष 2008–09 के उक्त वित्तीय वर्ष का मानदेय अभी नहीं दिया गया है, विगत वर्षों का मानदेय पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। अतः पूर्व वर्षों के लिये 01–वेतन की परिभाषा पूर्ववत रहेगी जिसमें वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई वेतन के योग के अनुसार मानदेय दिया गया है, और उक्तवत व्यवस्था वर्ष 2008–09 एवं अग्रेतर जब तक यह व्यवस्था है तब तक ही लागू रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के फलस्वरूप वाहन चालकों को मानदेय के विषय में पूर्व में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: 520/xxvii (1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 . देहरादून दिनांक 29 जुलाई 2009।

विषय:– <u>वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र संख्या– 43ए को पुनरीक्षित किया जाना।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में धन कोषागार/बैंक में जमा किये जाने के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित चालान प्रपत्र संख्या–43ए प्रयोग में लाया जा रहा है।

2. शासकीय विभागों/कार्यालयों तथा कोषागारों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए चालान प्रपत्र संख्या– 43 ए को पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया गया। तदनुसार वर्तमान में प्रयोग में लाये जा रहे चालान प्रपत्र संख्या– 43ए के स्थान पर चालान प्रपत्र संख्या–43ए (1) तथा प्रपत्र संख्या– 43ए (2) को श्री राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार पुनरीक्षित चालान प्रपत्र संख्या–43ए (1) राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ, लोक लेखा के अन्तर्गत पी.एल.ए. आदि से सम्बन्धित धन जमा किये जाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। चालान प्रपत्र संख्या– 43ए (2) कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बन्धित धनराशि जमा करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित चालान प्रपत्रों के राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रण करने तथा प्रदेश के समस्त कोषागारों को भेजे जाने के कार्य का समन्वय निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड की देख–रेख में किया जाये। पुनरीक्षित चालान प्रपत्र प्रारम्भ में कोषागारों/उपकोषागारों में प्राप्त किये जा सकेंगे तथा आगे चलकर विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष राजकीय मुद्रणालय से चालान प्रपत्रों की आपूर्ति मांग पत्र भेजकर सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई होने पर निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून से सम्पर्क किया जा सकेगा।

4. उपरोक्त पुनरीक्षित चालान प्रपत्र संख्या– 43ए (1) तथा प्रपत्र 43ए (2) दिनांक 1 सितम्बर, 2009 से लागू होंगे और तब तक वर्तमान चालान प्रपत्र संख्या– 43ए का प्रयोग मान्य रहेगा।

5. कृपया उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाये। पुनरीक्षित चालान प्रपत्र के लागू किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव–वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 215/XXVII/(7) 2009
देहरादून, दिनांक : 25 अगस्त, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–10(2) एवं नियम–72 (4) विषयक।

शासनादेश संख्या–258/XXVII(7)/2008, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा सामान्य आवश्यकता की सामग्री यथा वाहन, फोटोकापियर एवं उसकी एसेसरीज, फैक्स मशीन, जनरेटर, फायर एक्विपमेन्ट, पुलिस विभाग हेतु यूनिफार्म सामग्री, कम्प्यूटर, पैडलॉक एवं अन्य आवश्यक कार्यालय सामग्री, जो डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर उपलब्ध है, को दर अनुबन्ध की अवधि में सूचीगत फर्म से सीधे क्रय करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों से उक्त सामग्री के सीधे क्रय की अनुमति केवल छोटी–मोटी/लघु (पेटी) आवश्यकताओं के लिए ही दी गयी है। शासनादेश की मंशा के विपरीत उक्त सामग्री का क्रय अत्यधिक मात्रा में (बल्क परचेज) भी, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर करने की जानकारी शासन के संज्ञान में आयी है। अतः उक्त शासनादेश संख्या–258/XXVII(7)/2008 दिनांक 22 अगस्त, 2008 के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों/संस्थाओं में रु0 25 लाख से अधिक की उक्त सामग्री की आवश्यकता हो, उनके लिए डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के रेट होते हुए भी, सामग्री का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जाए परन्तु इस प्रक्रिया के अनुसार जो दर स्वीकार की जाए वह डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर से कम हो।

A K Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:302/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक:27 अक्टूबर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न शैक्षिक पदधारकों द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदो पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है–

जिज्ञासायें	स्पष्टीकरण
1.शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 के संलग्नक–1 के स्तम्भ–4 में वर्तमान वेतन के सापेक्ष उच्चीकृत वेतनमान में दिनांक 1–1–2006 से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को प्रथमतः वेतन निर्धारण 1–1– 2006 को प्राकल्पित आधार पर किया जाएगा अथवा नही? अर्थात दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत किये गये वेतनमानों यथा रू0 6500–10500, रू0 7450–11500,रू0 7500–12000 आदि का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–2 में उक्त उच्चीकृत वेतनमानों की ही फिटमेन्ट तालिका के अनुसार होगा या आहरित वेतन के आधार पर आगणित वेतन पर मात्र ग्रेड वेतन जोडकर होगा?	शासनादेश दिनांक 01 मार्च,2009 के अनुसार विकल्प देने वाले शिक्षकों का दिनांक 1–1–2006 से वेतन प्राकल्पित आधार पर निर्धारित किया गया जाएगा। दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक वेतनमान रू0 4500–7000 का प्रतिस्थापित वेतनमान पे–बैण्ड–1 में है । अतः दिनांक 31–12–2005 में जिस वेतनमान में थे उस वेतनमान के निर्धारित सोपान(Stage) हेतु दिनांक 1–1–2006 से Fitment Table भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है जिन प्रकरणों में उच्चीकरण दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद किये गये हैं ऐसे प्रकरणों में दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद जैसी भी

स्थिति हो के अनुसार यदि एक ही पे-बैण्ड में उच्चीकरण है तब मात्र ग्रेड-पे में परिवर्तन होगा परन्तु उच्चीकरण यदि दूसरे पे-बैण्ड में है तब दिनांक 1-1-2006 या उसके बाद पे-बैण्ड के न्यूनतम एवं उच्चीकृत ग्रेड पे देय होगा उदाहरणार्थ- एक शिक्षक दिनांक 31-12-2005 को रू0 4500-7000 में था जिसे दिनांक 1-1-2006 से वेतनमान रू0 6500-10500 के ग्रेड-पे रू0 4200 में उच्चीकृत किया गया इस प्रकरण में प्रथमतः दिनांक 1-1-2006 को रू0 4500-7000 के निश्चित सोपान पर फिटमेन्ट टेबिल से पुनरीक्षित करने पर यदि स्तर रू0 9300 से कम आता है(पे-बैण्ड-2 रू0 9300- 34800) तब रू0 9300 या इससे अधिक है तब उसी स्तर पर ग्रेड-पे रू0 2800 के स्थान पर रू0 4200 किया जाएगा चूंकि दिनांक 1-1-2006 से नोशनल तथा दिनांक 1-4-2009 से वास्तविक लाभ देय है ऐसी स्थिति में दिनांक 1-1-2006 या उसके बाद से दिनांक 31-3-2009 तक नोशनली वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर दिनांक 1-4-2009 से वास्तविक भुगतान किया जाय।

2.दिनांक 1-1-2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण सीधे छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आधार पर किया जाना है।

दिनांक 1-1-2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण सीधे छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन, वित्त(वे0आ0-

अथवा शासनादेश सं074 (उच्चीकृत वेतन) 1मार्च,2009 के द्वारा शैक्षिणक पदों के दिनांक 1-1-2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेस मेंन्ट स्केल) का उच्चीकरण किये जाने के फलस्वरूव उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के संदर्भ में शासनादेश सं0 41/xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 का अनुसरण किया जाएगा ।

(क)वर्तमान वेतनमान रू0 6500-10500, उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500-12000, के सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 में रू04800 का ग्रेड वेतन जोड़कर दिनांक 20-4-2006 को वेतन रू0 14100 निर्धारित किया जाएगा। अथवा

(ख)शासनादेश सं0:395/xxvii (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के साथ पठित सीधी भर्ती के शासनादेश सं0 41 xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के अनुसार दिनांक 20-4-2006 को रू0 13350 में रू0 4800 का ग्रेड-पे जोड़कर रू0 18150 पर निर्धारित किया जाएगा।

3.शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/2009, दिनांक 1 मार्च,2009 के अधीन

सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश सं0 41/ xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के आधार पर किया जाएगा तथा तत्पश्चात वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/2009 दिनांक 1मार्च,2009 के साथ संलग्नक-1 के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्मुख कालम-1 में बिन्दु के अंश'ख' के अनुसार किया जाएगा क्योंकि नियुक्ति के समय वेतन रू0 6500-10500 था लेकिन यदि वह विकल्प दिनांक 1 मार्च,2009 के शासनादेश के अनुसार देता है तब रू0 7500-12000 के वेतनमान में सीधी भर्ती विषयक शासनादेश सं041 xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के अनुसार रू0 7500-12000 के वेतनमान में रू0 13350 के वेतन बैण्ड में रू0 4800 की ग्रेड पे जोड़कर वेतन का आगणन किया जायेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पदधारक को कोई एरियर देय नहीं होगा और यदि एरियर भुगतान किया जा चुका है, तो वह मय ब्याज के राजकोष में जमा किया जायेगा। अर्थात दिनांक 20-4-2006 को रू0 6500-10500 के वेतनमान में नियुक्त प्रवक्ता का वेतन किस प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा:-

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश सं0 395/ xxvii(7)/

दिनांक 1-1-2006 से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को मात्र ग्रेड-वेतन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की स्थिति में 1-1-2006 के पश्चात नियुक्ति शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त करेंगें?

2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर-27 के आधार पर यदि सभी परिस्थितियाँ समान हो तथा पूर्व से वरिष्ठ कार्मिक कनिष्ठ कार्मिक से अधिक या समान वेतन पा रहा हो तब वरिष्ठ कर्मचारी का कनिष्ठ के बराबर वेतन निर्धारित किया जाएगा।

4.अप्रशिक्षित वेतन रूपये 2750 नियत में कार्यरत शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित छठे केन्द्रीय वेतनमानों में कोई वेतन नहीं दिया गया है संबंधित शिक्षकों को दिनांक 1-1-2006 से वेतन का भुगतान किस रूप में किया जाएगा?

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश सं0 395/ XXvii(7) /2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक-1 के कालम-2 में अपुनरीक्षित वेतनमान-2750-4400 के कालम-4 के सादृश्य वेतन बैण्ड रू05200-20200 में नियत वेतन पर कार्यरत कार्मिक को उक्त वेतन बैण्ड का न्यूनतम रू0 5200 की दर से नियत वेतन तात्कालिक प्रभाव से देय होगा।

2. अतः वेतन पुनरीक्षण करने वाले विद्यालयों शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अस्पष्ट बिन्दुओं पर अब उक्तवत दिनांक 1-1-2006 से वेतनमान पुनरीक्षण की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें । यदि पूर्व में गलत वेतन पुनरीक्षण करने के फलस्वरूप किन्ही कार्मिकों को अधिक धनराशि के एरियर का भुगतान हो गया हो, तब उसके वेतन का उक्तवत् पुनरीक्षण कर अधिक भुगतान की गई धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या 272/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून दिनांक 5 नवम्बर 2009

विषय:- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 40/xxvii(7)स्वै0परि0क0/2009दि0 13 फरवरी,2009 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में पूर्व में अनुमन्य धनराशि की दरें संशोधित की गई है।

इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से शासन स्तर पर यह जिज्ञासायें की जा रही है कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण होगा या शासनादेश जारी होने की तिथि से और पुनरीक्षित दर पर दिनांक 1–1–2006 से अवशेष देय होगा या नहीं ।

अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भत्ते का दिनांक 1–1–2006 से ही पुनरीक्षण होगा । इसके अतिरिक्त दि0 1–9–2008 के उपरान्त अनुमन्यता के प्रकरणों में भत्ते की स्वीकृत धनराशि ग्रेड वेतन के परिवर्तन पर भी परिवर्तित नहीं होगी।

2 उपरिल्लिखित शासनादेश दि0 13 फरवरी,2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या–756/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
सह–स्टेट, इन्टरनल आडिट,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 25 नवम्बर, 2009

विषय : एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन के अतिरिक्त नियमित रूप से स्वीकृत होने वाले मंहगाई भत्ते का कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– 254/XXVII(6)/2006 दिनांक 20 जुलाई, 2006 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि नियमित वेतन के साथ–साथ सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु यदि किसी मंहगाई भत्ते या मंहगाई राहत आदि में वृद्धि हो तब उसका भी सीधा आहरण, कर्मचारियों की उपस्थिति/डाटा बेस के आधार पर कोषागार द्वारा कम्प्यूटर से ही किया जाय। इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी तथा 01 जुलाई से होने वाले मंहगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान कोषागारों द्वारा एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के माध्यम से करने हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी।

2. मंहगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान कोषागारों द्वारा एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के माध्यम से नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। कोषागार केवल उन्ही कार्मिकों का अवशेष वेतन के साथ आहरित करेंगे जिनका पूर्ण माह का आहरण एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली से हुआ है।

3. ऐसे कार्मिक जिनका पूर्ण माह का भुगतान एकीकृत वेतन प्रणाली से नही हुआ है या मैनुवली कोषागार से आहरित हुआ है, के मंहगाई भत्ते अवशेष का भुगतान प्रपत्र–2(1) पर आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर अगले माह के वेतन के साथ कोषागारों द्वारा किया जायेगा।

4. प्रपत्र–2(1) के माध्यम से अवशेष मंहगाई भत्ते को आहरित किये जाने हेतु आहरण–वितरण अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देगें कि पूर्व में अवशेष का आहरण नहीं किया गया है।

5. अन्य भत्तों के अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में भी बिन्दु–3 व 4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं आहरण–वितरण अधिकारी यथा आवश्यक स्वीकृति आदेश भी प्रपत्र–2(1) के साथ संलग्न करेंगे।

6. उक्त प्रकिया लागू होने के पश्चात मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के अवशेष के भुगतान हेतु मैनुअल बिल कोषागारों द्वारा किसी भी दशा मे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या3९५ / xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:–उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा0–4–229 / दस–2000–621–2000 दिनांक 10 मार्च,2000 द्वारा किया गया था। इस संबंध में वेतन समिति(2008) द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न लिखित स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0स0	वाहन नाम	वर्तमान दर (रू0 प्रतिमाह)	पुनरीक्षित दर (रू0 प्रतिमाह)
1.	2	3	4
2.	मोटरकार(जहां औसत स्थानीय यात्रा 400 किमी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	800	1000
3.	मोटर साईकिल / स्कूटर	350	450
4.	मोपेड	150	200
5.	साईकिल	50	75

1– उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10मार्च,2000 के अनुसार ही रहेंगी और कार्यालय ज्ञाप की दर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।
2– उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी।
3– उक्त भत्ते की दरों में संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित का0ज्ञा0 दिनाक 10 मार्च,2000 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या399 / xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:–उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत सरकार की भाँति परिवहन भत्ता की अनुमन्य किये जाने विषयक।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) के छठवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत सरकार की भाँति परिवहन भत्ता निम्नलिखित दरों से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

ग्रेड वेतन रू0	परिवहन भत्ता प्रतिमाह (रू0 में)
5400 व अधिक	2000
4600 व, 4800	1000
4200 व कम	400

यह भत्ता केवल उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को ही अनुन्य होगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है उन्हें उक्तानुसार परिवहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या399(1)/XXVII(7)/2009तद्दिनाँक
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द पाण्डे)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या–५४५/XXVII(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 09 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान रु0 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान रु0 5500–9000) जिनकी दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड–2 में समान ग्रेड पे रु0 4200 हो गयी है, का आमेलन करते हुए आमेलित पद का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 में ग्रेड पे रु0 4200 यथावत रहेगी।

2– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रु0 6500–10500) की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड पे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 के समान रु0 4200 हो गयी है। अतः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान रु0 6500–10500 को दिनांक 1–1–2006 से रु07450–11500 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 में ग्रेड पे रु0 4200 के स्थान पर रु0 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्तानुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली में पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 462 /XXVII(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0—7 देहरादून:दिनांक 22 फरवरी,2010

विषय:- समयमान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवा को जोड़ा जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्पष्टीकरण संख्या—वे0आ0—2—257/10—2004-45(एम)/99 टी0सी0 दिनांक 20 अगस्त,2004 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 327/XXVII(3)स0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त,2005 के संलग्नक के बिन्दु संख्या—5 में एक पद का आशय स्पष्ट करते हुए एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में की गयी सेवा को गणना में न लेने तथा एक ही विभाग के ऐसे पद जो एक संवर्ग के हैं और आपस में स्थानान्तरणीय है तथा वरिष्ठता सूची एक है, को छोड़कर एक ही विभाग में समान वेतनमान में भिन्न-भिन्न पदों पर की गयी सेवा को गणना में न लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे मामलों में जहां किसी संवर्ग में समयमान वेतनमान के पद से पदोन्नति होती है अथवा समान वेतनमान के दो पदों को संविलीन किया जाता है, वहां संबंधित पद धारक के वेतन निर्धारण पूर्व पद पर आहरित मूल वेतन के समान स्तर पर ही होता है तथा समयमान वेतनमान में पूर्व पद की सेवायें न जोड़े जाने से उन्हें हानि होती है।

2— उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समान वेतनमान के पद पर पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप सम्बंधित पदधारक को नये धारक पद पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व पद की सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

3— शासनादेश संख्या—327/XXVII(3)स0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त,2005 के स्पष्टीकरण विषयक संलग्नक के बिन्दु संख्या-5 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 156/XXVii(7)/2010
देहरादून, दिनांक:18 जून,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली,2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता दिया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:203/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई,2009 द्वारा राज्य के सहकारी संघ के माध्यम से रू0 15,000 से अधिक तथा रू0 1,00,000/– तक की लागत की सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से संतुष्ट होते हुए सीधे क्रय समिति के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ–साथ रू0 15,00,000/– की सीमा तक की सामग्री के क्रय हेतु अपनाये जाने वाली टेन्डर इन्क्वायरी की प्रकिया में राज्य सहकारी संघ को भी रजिस्टर्ड सप्लायर के रूप में निविदादाता की सूची में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त के कम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि टेन्डर रिक्वायरमेंट की सभी शर्तें पूर्ण करने,अन्य सभी तथ्य समान होने तथा सहकारी संघ के कोट किये गये प्राईस एल–1 प्राईस के 10 प्रतिशत की सीमा में रहने तथा संघ द्वारा एल–1 प्राईस को मैच करने के लिए सहमत होने पर सहकारी संघ को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता अनुमन्य होगी परन्तु एल–1 दरों से ऊपर किसी प्रकार की कोई मूल वरीयता नहीं दी जाएगी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या :203/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई,2009 द्वारा राज्य सहकारी संघ के लिए की गई व्यवस्था की अवधि जो कि 31–03–2010 तक के लिए निर्धारित थी तथा उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित क्रय वरीयता की अवधि दिनांक 31 मार्च,2011 तक बढ़ाये जाने/रखने की भी एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः ⁄ /xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः06 जुलाई, 2010

स्पष्टीकरण

विषयः–लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 एवं 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 के संबंध में कर्मचारी संघ द्वारा अपने ज्ञापनों में नियमित कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि, ग्रेड पे दिये जाने के साथ–साथ मृत्यु अथवा सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अवशेष नकद भुगतान किये जाने एवं दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्ति प्राप्त कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने, एवं स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका 1,2 एवं 3 में संशोधन किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

कार्यप्रभारित कर्मचारी संघ द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका संख्या 1 को संशोधित एवं 2 एवं 3 को निरस्त करते हुए कार्यप्रभारित कर्मचारियों की संहत वेतन सीमा निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) संहत वेतन की अधिकतम सीमा की गणना में मूल वेतन,विशेष वेतन, अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा,किन्तु अन्य भत्ते संहत वेतन की सीमा से, बाहर होगें।

(ii) कार्यप्रभारित कार्मिकों को मंहगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता एवं परिवार नियोजन भत्ता राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य दरों के अनुसार उसी तिथि एवं दर से देय होगा जिस तिथि से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य कराया गया है।

(iii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्वि एवं ग्रेड पे की दर एवं तिथि उसी प्रकार होगी जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 उन सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू होगें जो कि दिनांक 01–01–2006 से पूर्व एवं दिनांक 01–01–2006 तथा इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं।

(v) राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त एवं मृत्यु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिस प्रकार छठे वेतनमान का ऐरियर भुगतान किया गया है उसी प्रकार कार्यप्रभारित सेवानिवृत्त एवं मृत्यु कर्मचारियों के ऐरियर का भुगतान किया जाएगा ।

(vi) वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 की तालिका-1 निम्नानुसार संशोधित की जाती है।

तालिका-1

मौजूदा संशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)		
क. सं.	वेतनमान (रूपये) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1-1-2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)	वेतन बैण्ड/ग्रेड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)
1	2	3	4	5	6
1.	2550-3200	3200	-1 एस	4440-7440	7260
2.	2610-3540	3540	-1 एस	4440-7440	7990
3.	2650-4000	4000	-1 एस	4440-7440	9090
4.	2750-4400	4400	-1 एस	5200-20200	9990
5.	3050-4590	4590	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	10440
6.	3200-4900	4900	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	11120
7.	4000-6000	6000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	13560
8.	4500-7000	7000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	15820
9.	5000-8000	8000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	19080

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 653 /XXVII(7)म0रा0/2010
देहरादून, दिनांक 20 अगस्त,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महगांई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 19/XXVII(7)पे0/2008 दिनांक 21 मार्च,2008 द्वारा दिनांक 1–7–2008 से महगांई राहत की एक किश्त 1–1–2008 से स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मार्च,2008 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 54 प्रतिशत, दिनांक 1–1–2009 से 64 प्रतिशत, दिनांक 1–7–2009 से 73 प्रतिशत तथा 1–1–2010 से 87 प्रतिशत की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महगांई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से न्यूनतम में अन्तर्ग्रस्त होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड आफ किया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महगांई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महगांई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-653 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun . Dated 20 August,2010

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 19/XXVII(7)DR/2008, dated: 21 March,2008 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2008 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2008 to 54%, dated 1-1-2009 to 64 %, dated 1-7-2009 to 73 % and dated 1-1-2010 to 87% in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 21 March,2008 refered to above

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from state under the education/ Technical - Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्या 494 /XXVII(7)म०कि०/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनु०–07 देहरादून:दिनांक:18 जून,2010

विषय:– हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एच.ए.जी.) रू० 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000 एवं एपेक्स स्केल रू० 80,000 के नियत वेतन के पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:38/XXVII(7)म०का०/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं इसके विषय में निर्गत संशोधन विषयक शासनादेश संख्या 61/XXVII(7)म०का०/2009 दिनांक 16 फरवरी,2009 द्वारा 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के समतुल्य ग्रेड पे के आधार पर "बी–2", "सी" एवं "अवर्गीकृत क्षेत्रों" के आधार पर मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है तथा तत्पश्चात वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:294/XXVII(7)/2009 दिनांक 25 सितम्बर,2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित या इस राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा राज्य सरकार के रू० 37400–67000 के पे बैण्ड–4 में ग्रेड पे रू०12000 में कार्यरत पदों के वेतन बैण्ड को रू० 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000 में बिना किसी ग्रेड पे के संशोधित किये जाने तथा रू० 80,000 के नियत वेतन के पद के लिये कोई ग्रेड पे न होने के कारण मकान किराये भत्ते के निर्धारण विषयक उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं दिनांक 16 फरवरी,2009 के द्वारा मकान किराया भत्ते का निर्धारण नहीं हो पाया है।

2– अतः उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एच.ए.जी.) रू० 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000 एवं एपेक्स स्केल रू० 80000 के नियत वेतन में कार्यरत प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिये मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता निम्नवत रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्रमांक	वेतन/नियत वेतन	बी–2 श्रेणी (रू०)	सी श्रेणी (रू०)	अवर्गीकृत श्रेणी (रू०)
1	रू० 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000	10000	6[illegible]	5300
2	रू० 80000 नियत वेतन	12000	8[illegible]	6400

3- उक्तानुसार वेतनमान/नियत वेतन के पूर्णकालिक पदों के मकान किराये भत्ते की प्रभावी तिथि तथा अन्य शर्तें उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं 16 फरवरी,2009 के अनुसार ही यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

संख्या : 494 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या 652/XXVII(7)म.भ./2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 20 अगस्त,2010

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2010 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:299/XXVII(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)12008EII(बी) दिनांक 31 मार्च,2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या:299/XXVII(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2010 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 73 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2009 एवं 31 मार्च,2010 के क्रम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2010 से महंगाई भत्ते को 73 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 87 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2010 से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2010 से 31 जुलाई,2010 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अगस्त,2010 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:583/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांक:16 सितम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– स्नातकोत्तर भत्ते में संशोधन किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त(सामान्य) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:जी0–1–927/दस 285/88 दिनांक 5 जुलाई,1989 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों को स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये थे।

अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन में अन्य भत्ते के संबंध में की गई संस्तुति के क्रम में यथा अभियंत्रण विभागों, चिकित्सा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग आदि में जिन सरकारी सेवकों को इस समय यह सुविधा अनुमन्य है, वहाँ उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप 5 जुलाई,1989 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन पूर्व से अनुमन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए रू0 100.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 200.00 प्रतिमाह रूपये दो सौ मात्र तथा स्नातकोत्तर डिग्री, पी0एच0डी0 एवं डी0एस0सी0 के लिए रू0 200.00 के स्थान पर 400.00 प्रतिमाह रूपये चार सौ मात्र तात्कालिक प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या:जी0–1–927/दस 285/88 दिनांक 5 जुलाई,1989 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और इसकी अनुमन्यता की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 647 / xxvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांक: 16 सितम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–5 में वाह्य स्रोत से सेवायें कराये जाने विषयक नियम–64 के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम को छूट दिया जाना।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में आने वाले प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के प्रवास एवं भोजन की व्यवस्था आयोग परिसर स्थित अतिथि गृह एवं कैन्टीन में करने हेतु, अतिथि गृह एवं कैन्टीन के रख–रखाव तथा भोजन की कैटरिंग हेतु पूर्व में उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता प्राप्त एजेंसी से निविदा प्राप्त न होने के कारण आयोग की अति संवेदनशील एवं गोपनीय कार्य प्रणाली के दृष्टिगत आयोग के अतिथि गृह एवं कैन्टीन के रख–रखाव तथा भोजन की कैटरिंग का कार्य असाधारण परिस्थितियों के आलोक में गढ़वाल मण्डल विकास निगम को अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–64 के अन्तर्गत दिये जाने हेतु नियमावली के नियम 72(4) के अन्तर्गत निम्न प्रतिबन्धों के अधीन छूट दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त छूट की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।
(2) मूल्यों की युक्तियुक्तता (प्राईस की रिजनेबलनेस) एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का होगा।
(3) निगम द्वारा आयोग की कार्य प्रणाली की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता सुनिश्चित बनाये रखी जाऐगी।
(4) संगत सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुए आयोग, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के साथ एक एम0ओ0यू0 निष्पादित करेगा। उक्त छूट की अवधि एम0ओ0यू0 के निष्पादन की तिथि से प्रारम्भ होगी।
(5) उक्त व्यवस्था लोक सेवा आयोग की अति संवेदनशील तथा गोपनीय कार्य प्रणाली तथा आयोग के कार्य हेतु समय–समय पर आने वाले विषय विशेषज्ञों के प्रवास की व्यवस्था हेतु की जा रही है अतः इसे अन्य आयोग / विभाग / संस्थाओं हेतु दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाऐगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या:725 /xxvii(7)म.भ./2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 28 अक्टूबर,2010

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2010 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:579/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 09 जून,2010।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(6)/ 2010 – संस्था–ii(ख)दिनांक 22सितम्बर,2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 579/xxvii(7)म.भ /2010 दिनांक 09 जून,2010 द्वारा दिनांक 01 जनवरी,2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या:579/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 जून,2010 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(6)/2010– संस्था –ii (ख)दिनांक 22सितम्बर,2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–7–2010 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे :

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2010, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2010 से 31 अक्टूबर, 2010 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 नवम्बर 2010 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-7
संख्या:893/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांक21 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-छठे केन्द्रीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न शैक्षिक कर्मचारी संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदो पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:-

जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1-दिनांक 1-1-2006 से पूर्व नियुक्त वरिष्ठ शिक्षकों को दिनांक 1-1-2006 अथवा इसके पश्चात कनिष्ठों शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है अतः उत्तर प्रदेश शासन के वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2-1273 (1)/दस - 59 (एम)/2009 दिनांक 07 सितम्बर,2009 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका के आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 74/ xxvii(7)/2009 दिनांक 01 मार्च,2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किये जाने के संबंध में भी उक्तानुसार फिटमेन्ट तालिका निर्गत की जाय।	वेतन समिति, 2008 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विधालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या:74/ XXVII(7) /2009 दिनांक 1 मार्च,2009 द्वारा पुनरीक्षण वेतन संरचना में दिनांक 1 जनवरी,2006 से वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में दिनांक 1 जनवरी,2006 से प्राकल्पित आधार पर शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 एवं शासनादेश संख्या:25/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 1-4-2009 से वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। शासनादेश संख्या:395/ XXVII (7) /2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों में दिनाक 1 जनवरी,2006 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का वेतन 1 जनवरी,2006 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के वेतन से कम होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः उक्तानुसार विधालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन निर्धारण संलग्न फिटमेन्ट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 1जनवरी, 2006 से प्राकल्पित तथा नकद

	भुगतान दिनांक 1-4-2009 से शासनादेश संख्या:74 / XXVII (7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 में की गई व्यवस्थानुसार किया जाएगा।
2- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-41 /XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 द्वारा दिनांक 1-1-2006 के बाद सीधी भर्ती के कार्मिकों हेतु वेतनमान पृथक से अनुमन्य किये गये है। तत्पश्चात वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 74 / XXVII(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिणिक पदों के दिनांक 1-1-2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान(रिप्लेसमेन्ट) का उच्चीकरण किया गया है। उक्तानुसार वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:302/XXVII (7) / 2009 दिनांक 27 अक्टूबर,2009 के बिन्दु संख्या:2 में निर्गत स्पष्टीकरण के आधार पर दिनांक 1-1-2006 अथवा उसके पश्चात के अधिकांश शिक्षकों से वेतन के ऐरियर की वसूली की जा रही..है। फलस्वरूप उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन जारी किया जाय।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-41/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या:27/XXVII(7)(स्प0-1)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2006 को विकल्प यथावत रखते हुए उक्त तिथि से उच्चीकृत वेतनमान को नोशनली निर्धारण करते हुए दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षण वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे तथा उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे की बीच की धनराशि को ही नोशनली मानते हुए उक्त धनराशि के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाना है जबकि शासनादेश संख्या: 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008, शासनादेश संख्या:25/XXVII (7)द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 तथा शासनादेश संख्या: 41/ XXVII(7) / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा दिनांक 1-1-2006 से अनुमन्य प्रतिस्थापित वेतनमान में वेतनमान चूंकि कॉमन कैटेगिरी के वेतनमान प्राप्त होने के पूर्व अनुमन्य हो चुके थे और समस्त कार्मिकों को उक्तानुसार ऐरियर भी अनुमन्य हो चुके है। अतः ऐसी स्थिति में वेतनमानों के उच्चीकरण के पूर्व अनुमन्य सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अनुमन्य ऐरियर समस्त अनुमन्य पदधारकों को भुगतान किया जाए।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या:302/XXVII(7)/2009 दिनांक 27 अक्टूबर,2009 का बिन्दु संख्या:2 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संलग्नक-यथोपरि।

(1)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 4500-125-7000			
उच्चीकृत वेतनमान : 6500-200-10500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4200	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
4500	9300	4200	13500
4625	9300	4200	13500
4750	9300	4200	13500
4875	9300	4200	13500
5000	9300	4200	13500
5125	9540	4200	13740
5250	9770	4200	13970
5375	10000	4200	14200
5500	10230	4200	14430
5625	10470	4200	14670
5750	10700	4200	14900
5875	10930	4200	15130
6000	11160	4200	15360
6125	11400	4200	15600
6250	11630	4200	15830
6375	11860	4200	16060
6500	12090	4200	16290
6625	12330	4200	16530
6750	12560	4200	16760
6875	12790	4200	16990
7000	13020	4200	17220
7125	13260	4200	17460
7250	13490	4200	17690
7375	13720	4200	17920

(२)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च २००९ के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5000-150-8000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5000	12540	4600	17140
5150	12540	4600	17140
5300	12540	4600	17140
5450	12540	4600	17140
5600	12540	4600	17140
5750	12540	4600	17140
5900	12540	4600	17140
6050	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6350	12540	4600	17140
6500	12540	4600	17140
6650	12540	4600	17140
6800	12650	4600	17250
6950	12930	4600	17530
7100	13210	4600	17810
7250	13490	4600	18090
7400	13770	4600	18370
7550	14050	4600	18650
7700	14330	4600	18930
7850	14610	4600	19210
8000	14880	4600	19480
8150	15160	4600	19760
8300	15440	4600	20040
8450	15720	4600	20320

(3)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	13350	4800	18150
5675	13350	4800	18150
5850	13350	4800	18150
6025	13350	4800	18150
6200	13350	4800	18150
6375	13350	4800	18150
6550	13350	4800	18150
6725	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7075	13350	4800	18150
7250	13490	4800	18290
7425	13820	4800	18620
7600	14140	4800	18940
7775	14470	4800	19270
7950	14790	4800	19590
8125	15120	4800	19920
8300	15440	4800	20240
8475	15770	4800	20570
8650	16090	4800	20890
8825	16420	4800	21220
9000	16740	4800	21540
9175	17070	4800	21870
9350	17400	4800	22200
9525	17720	4800	22520

(4)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	12540	4600	17140
5675	12540	4600	17140
5850	12540	4600	17140
6025	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6375	12540	4600	17140
6550	12540	4600	17140
6725	12540	4600	17140
6900	12840	4600	17440
7075	13160	4600	17760
7250	13490	4600	18090
7425	13820	4600	18420
7600	14140	4600	18740
7775	14470	4600	19070
7950	14790	4600	19390
8125	15120	4600	19720
8300	15440	4600	20040
8475	15770	4600	20370
8650	16090	4600	20690
8825	16420	4600	21020
9000	16740	4600	21340
9175	17070	4600	21670
9350	17400	4600	22000
9525	17720	4600	22320

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

(ड)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक / अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैन्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैन्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	14880	5400	20280
7750	14880	5400	20280
8000	14880	5400	20280
8250	15350	5400	20750
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

(7)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

(8)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैन्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

(७)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

(10)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल०टी० शिक्षक [illegible] का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	12540	4600	17140
5675	12540	4600	17140
5850	12540	4600	17140
6025	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6375	12540	4600	17140
6550	12540	4600	17140
6725	12540	4600	17140
6900	12840	4600	17440
7075	13160	4600	17760
7250	13490	4600	18090
7425	13820	4600	18420
7600	14140	4600	18740
7775	14470	4600	19070
7950	14790	4600	19390
8125	15120	4600	19720
8300	15440	4600	20040
8475	15770	4600	20370
8650	16090	4600	20690
8825	16420	4600	21020
9000	16740	4600	21340
9175	17070	4600	21670
9350	17400	4600	22000
9525	17720	4600	22320

(11)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	14880	5400	20280
7750	14880	5400	20280
8000	14880	5400	20280
8250	15350	5400	20750
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

(13)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

(14)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100 | ग्रेड वेतन : 5400

पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

(17)

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

(18)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाचार्य का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 10000-325-15200			
उच्चीकृत वेतनमान : 12000-375-16500			
वेतन बैण्ड-3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 7600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
10000	21900	7600	29500
10375	21900	7600	29500
10650	21900	7600	29500
10975	21900	7600	29500
11300	21900	7600	29500
11625	21900	7600	29500
11950	22230	7600	29830
12275	22840	7600	30440
12600	23440	7600	31040
12925	24050	7600	31650
13250	24650	7600	32250
13575	25250	7600	32850
13900	25860	7600	33460
14225	26460	7600	34060
14550	27070	7600	34670
14875	27670	7600	35270
15200	28280	7600	35880
15525	28880	7600	36480
15850	29490	7600	37090
16175	30090	7600	37690

संख्या 779/XXVii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07

देहरादून:दिनांक 21 अक्टूबर,2010

विषय:–पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 395/XXVii(7)/ 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा दिनांक 31–8–2008 तक लागू समयमामन वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ है और पुनरीक्षित वेतन सरचना में उसकी वास्तविक पदोन्नति अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान के समान वेतन बैण्ड एवं समान ग्रेड वेतन में होने पर उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि" ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन सरंचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो संबंधित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा और आगामी वेतनवृद्धि उस पूर्व की भांति देय होगी।" मॉडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के विषय में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या: 734/XXVII(7)म0रा0/2010
देहरादून, दिनांक: 28 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:595/XXVII(7)म0रा0/2010 दिनांक 09 जून, 2010 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से महंगाई राहत 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09 जून,2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1-7-2010 से महंगाई राहत की एक और किश्त 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक 1-7-2010 से राहत की दर बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित है, यथावत् लागू रहेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 734 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated : 26 October, 2010

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 595/XXVII(7)DR/2010, dated 09 June, 2010 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2010 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 10% (Ten Percent) with effect from 01 July, 2010 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 09 June 2010 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2010 has risen to 45%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary

संख्या 73/ XXVII(7)स्वै०प०क० / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०—07 देहरादून:दिनांक 27 अक्टूबर,2010

विषय:—स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या40 / XXVII (7)स्व० प०क० / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 40 / XXVII(7) / स्वै०परि० क० / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में यह व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों को 1सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस धनराशि के दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय। दिनांक 31 अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई जिज्ञासाओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों को दिनांक 31 अगस्त,2008 तक पुराने वेतनमान में परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य हुआ है उनके परिवार नियोजन भत्ते की दर अनुमन्यता के समय पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर दिनांक 01 जनवरी,2006 से अनुमन्य होगा।

2— शासनादेश संख्या40 / XXVII(7) / स्वै०परि०क० / 2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 723/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांक:29 अक्टूबर,2010

स्पष्टीकरण

विषय:–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या:421/XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008, संख्या:305/XXVII(7)/2009 दिनांक 08 अक्टूबर,2009 एवं संख्या: 420 /XXVII(7)/2010 दिनांक 18 फरवरी,2010 के संबंध में स्पष्टीकरण/संशोधन।

विभिन्न राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राजकीय पेंशनर्स के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा तत्कम में निर्गत स्पष्टीकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:–

क0 सं0	बिन्दु	टिप्पणी
1	2	3
1	ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनको उनकी पेंशन छठे वेतन आयोग से पूर्व न्यूनतम पेंशन 1275/– से कम निर्धारित होकर प्राप्त हो रही थी, को छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 421 /XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु संख्या:8 में 1–1–2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू01275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है किन्तु इसमें समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1–1–2006 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी का उल्लेख नहीं किया गया है।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:421 xxvii (7)/2008 दिनांक 27–10–2008 के द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्रीय सरकार की भांति दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है तथा जिसके प्रस्तर–8 में 1–1–2006 से पूर्व पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है तथापि ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जाएगी, जहां पेंशनभोगी ने, पेंशनभोगियों, पर उसके/उसकी अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति की तारीक की स्थिति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु वांछनीय अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामले म रू03500 प्रतिमाह से कम नही होगी। अतः उचित होगा कि इसी आधार पर जिन पेंशनर्स को 1–1–2006 से पूर्व रू0 1275 से कम पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें भी रू0 3500 पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया जाए। पूर्ण अर्हकारी सेवा पूर्ण न करने पर ही समानुपातिक आधार पर न्यूनतम पेंशन में कमी होगी।

2		शासनादेश संख्या 305 / xxvii (7) / 2009 दिनांक 8- 10-2009 के प्रस्तर-2 के अनुसार पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जहां समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशन भोगी / मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1-1 2006 से लागू संशोधित वेतनमान / वेतन बैण्ड में मूल वेतन तथा ग्रेड पे के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
3	वित्त विभाग के शासनादेश सं0 305 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-3 में पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 की तिथि 31 दिसम्बर,2009 से आगे बढ़ायी जाए।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:305 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-3 में पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर्स से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 निर्धारित की गई थी किन्तु कतिपय पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स संघों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि अभी भी प्रदेश में अधिकांश ऐसे पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स है जिनके द्वारा उक्त तिथि तक उक्त प्रारूप भर कर कोषागार में जमा नहीं किया गया है अथवा संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उक्त प्रारूप कोषागारों को प्रारूप नही जमा किया गया है फलस्वरूप ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त प्रारूप जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 को दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ा दी जाए।
4	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 में जहाँ-जहाँ पर शासनादेश संख्या:221 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 इंगित किया गया है उसके स्थान पर 08 अक्टूबर, 2008 होगा अथवा 08 अक्टूबर,2009।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 में कतिपय स्थानों पर शासनादेश संख्या:221 / XXVii (7) / 2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 त्रुटिवश गलत इंगित होने के कारण इसके स्थान पर "08 अक्टूबर,2009 पढ़ा जाए।"

5	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /XXVii(7) दिनांक 18–2–2010 के बिन्दु संख्या–2 में 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की अनुमन्यता शासनादेश जारी होने की तिथि के स्थान पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर, जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीख से देय होगी अथवा दिनांक 1–1–2006 से होगी।	इस संबंध में पेंशनर्स संघो द्वारा भारत सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या 38/37 / 08–पीएंड पी.डब्ल्यू(ए) दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु संख्या 4.5 के आधार पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीक से देय किये जाने के संबंध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार के उपरांकित कार्यालय ज्ञाप में उक्त व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से ही लागू है। फलस्वरूप वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420/XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 के बिन्दु संख्या–2 में संशोधन का आधार नहीं है।
6	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420/XXVii(7) दिनांक 18–2– 2010 के प्रस्तर–1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1–1–06 से दिनांक 26– 10–08 के मध्य 20/10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते परन्तु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे उनको पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी। 33 वर्ष से कम सेवा के कारण अनुपातिक कमी नहीं की जाएगी।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420/XXVii(7) दिनांक 18–2–2010 के प्रस्तर–1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होने की व्यवस्था को स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या 506 XXVii(7) दिनांक 26–4–2010 के प्रस्तर–1 में स्पष्ट व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था दिनांक 27 अक्टूबर,2010 के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से ही लागू होगी अर्थात उक्त तिथि के बाद सेवानिवृत्त कार्मिको को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित औसत वेतन का 50 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया गया है।
7	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/XXVii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु 8(1) की सातवीं पंक्ति में अब सात वर्ष के स्थान पर "10 वर्ष पर" अनुमन्य होगी अथवा "10 वर्ष तक"।	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब सात वर्ष के स्थान "10 वर्ष पर" के स्थान पर "10 वर्ष तक" पढ़ा जाए।

2- उक्त कालम–3 में प्रस्तावित व्यवस्था के फलस्वरूप संगत कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3- उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 723 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वि०आ०–सा०नि०) अनु07
संख्या 748/XXVII(7)/2010
देहरादून: दिनांक 05 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में आपदा राहत कार्यों के लिए शिथिलीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (Work Order) पर आधारित निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य करा सकता है। राज्य में आई भीषण आपदा से हुयी क्षति के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त कार्यों के त्वरित पुनर्निर्माण हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली के नियम–72 (4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–39 में शिथिलीकरण करते हुए आपदा राहत कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर कम से कम 3 पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य कराये जाने की सीमा को बढ़ाकर रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–39 में उक्त शिथिलीकरण केवल एक बार आपदा राहत कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए किया जा रहा है। उक्त शिथिलीकरण आपदा राहत–निधि से विभिन्न विभागों के लिए आवंटित बजट से कराये जाने वाले कार्यों के लिए किये जा रहा है।

Alok Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या: 872 XXVII(7)न0प्रति0 / 2011

(5)

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 08 मार्च, 2011

विषय:–राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–444 / XXVII(7)ए.सी.पी.(1) / 2010 दिनांक 09 फरवरी,2010 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या:542 XXVII(7) / 2010 दिनांक 15 अक्टूबर,2010 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त योजना दिनांक 1–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 01–09–2008 से तथा वेतनमान ₹8000–13500 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹ 5400 तथा उससे उपर के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के पदधारकों के लिए दिनांक 01–01–2006 से प्रभावी होगी।

(2) (i) ए0 सी0 पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे:–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान / सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाविधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नानफंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय

स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं संबंधित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्याः–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के स्तम्भ–4 एवं 5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के संबंध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर संबंधित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के प्राविधानों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक

अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदो पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु संबंधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो संबंधित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31–08–2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31–8–2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:-

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना संबंधित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले ₹ 10 में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(2)(i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को संबंधित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो संबंधित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम 06 माह के उपरान्त पड़ने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जनवरी/जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया

जायेगा। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो संबंधित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणी:- उक्त व्यवस्था से संबंधित कतिपय उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध हैं।

3- पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 सितम्बर,2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे संबंधित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 सितम्बर,2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है तो ऐसे कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत

देय लाभ दिनांक 01 सितम्बर,2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे:–

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नानफक्शनल वेतनमान मिलने पर ए०सी०पी० की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नानफंक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए०सी०पी० के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 सितम्बर,2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबधित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4– वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नही किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड

वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5– (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके संबंध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की केस–टू–केस प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बैठक आयोजित कर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6– ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7– ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8– ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011, दिनांक 08/3/11 का संलग्नक-1

उदाहरण-1

वेतनमान ₹ 4000-6000(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2400/-) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान ₹ 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/-) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान ₹ 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/-) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(i) :-

वेतनमान ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में ₹ 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में

अनुमन्य ₹ 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– अनुमन्य होगा।

<u>उदाहरण–2(ii) :–</u>

इसी प्रकार वेतनमान ₹ 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/–) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में ₹ 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/–) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी,2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– अनुमन्य है। उक्त स्थिति में संबंधित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4800/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य ₹ 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4800/– अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या: 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

...ादेश संख्या872/XXVII(7)/2011, दिनांक08/03/2011 का संलग्नक-2

...क्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर संबंधित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। संबंधित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) यदि संबंधित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जनवरी/01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹ 100.00 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि की गणना ₹ 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना ₹ 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:-

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन

हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा त
जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्ती
के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो
आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा
जायेगा।

नोटः—यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण— किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जुलाई,2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी। उदाहरण—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी,2009 से 30 जून,2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी,2010 को देय होगी।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव,वित्त।

(2)

संख्या:87 XXVii(7)/न0प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वि0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:08 मार्च, 2011

विषय–वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के तकनीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गई है:–

(क) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ

1– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य क्रमशः वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/– तथा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/– यथावत बनाये रखे जायें।

2– प्रयोगशाला सहायक(ग्राम्य) के पदों पर ₹ 3200–4900 का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2000/–) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी.एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2000/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी.एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त अस्पतालों में उनकी तैनाती की व्यवस्था की जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सी. एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो, में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये।

3– जन चिकित्सा के अन्य विभागों सहित पशु चिकित्सा के अन्तर्गत उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के पदों पर शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाए। सीधी भर्ती हेतु इंटरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फेकल्टी/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाए और संबंधित पदों पर समान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान वेतन बैण्ड एव ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराये जाये। संबंधित विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप 03 माह के सेवा कालीन विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी जा सकती है। सभी विभागों में इस स्तर के विभिन्न पदनामों (प्रयोगशाला सहायक, प्राविधिज्ञ सहायक तथा प्राविधिज्ञ आदि) से उपलब्ध पदों का पदनाम प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) रखा जाए।

(ख) एक्स–रे–टेक्नीशियन

1– प्रदेश के एक्स–रे–टेक्नीशियन पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में ₹ 5000–8000 के वर्तमान वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड–2(₹ 9300–34800) तथा ग्रेड वेतन ₹ 4200/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य करा दिया जाए।

2– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग में वरिष्ठ एक्स–रे–टेक्नीशियन का पर्यवेक्षीय पद वेतनमान ₹ 7450–11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– में कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सृजित किया जाए।

3– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग में मुख्य एक्स–रे–टेक्नीशियन के पर्यवेक्षीय पद के सृजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभाग/संवर्ग की कार्यात्मक आवश्यकता/कार्यों की गुणवत्ता के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाए।

4– एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर विभिन्न भत्ता एवं सुविधाओं के संबंध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां तथा स्थान अलग से दी जायेगी।

(ग) अन्य टेक्नीशियन

1– लैब टेक्नीशियन/एक्स–रे–टेक्नीशियन के पदों को छोड़कर अन्य तकनीशियन संवर्ग के पदों पर निम्न व्यवस्था रखी जाए:–

(i) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा संबंधित ट्रेड में डेढ़ वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता के साथ ₹ 4000–6000 का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन

बैण्ड-1 ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2400/- अनुमन्य कराया जाए।

(ii) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा संबंधित ट्रेड में डेढ़ वर्ष या डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता निर्धारित होने की स्थिति में ₹ 4500-7000 का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/- अनुमन्य कराया जाए।

2- टेक्नीशियन के जिन ट्रेड्स के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था स्टेट मेडिकल फेकल्टी/स्टेट मेडिकल फेकल्टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं है उनके संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था वेतन समिति (1997-99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में की जाए।

3- प्रदेश में अन्य टेक्नीशियन के संवर्ग में उच्च स्तर के पदों के सृजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या: 977 XXVII(7)/40(40)/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0--07 देहरादून:दिनांक: 25 मार्च, 2011

विषय--राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक--1 के कालम--2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01--01--2006 से पूर्व वेतनमान क्रमश: ₹2550--3200, ₹2610--3540, तथा ₹2650--4000, के पदों पर दिनांक 01--01--2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड--1--एस0, ₹4440--7400, तथा ग्रेड वेतन क्रमश: ₹1300/--, ₹1400/-- एवं ₹1650/-- के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड--1 ₹5200--20200 एवं ₹1800/-- के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है--

(i) शासनादेश संख्या:283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹1900/-- का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹1900/-- वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300/--, ₹1400/-- एवं ₹1650/-- के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां पर ग्रेड पे ₹1800/-- के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹1300/--, ₹1400/-- एवं ₹1650/-- के पद ₹1800/-- के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएगें।

(iii) ₹1800/-- की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वत: समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/-- ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2-- उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या:888XXVii(7)च0श्रे0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:२५ मार्च, 2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 का संशोधन।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रेषक में आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त के स्थान पर राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त पढा जाए।

2– शासनादेश संख्या: 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 893/40(XI)/XXVII(7)11वां प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक 29 मार्च,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 11वें प्रतिवेदन में राजकीय वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो गया है उन्हें एक बार के लिए वाहन चालक ग्रेड–1 में उच्चीकरण किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय वाहन चालक संघ की मांगों के संबंध में विचार विमर्शोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 226/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त,2007 के द्वारा लागू व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे वाहन चालक जिन्हें द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में ₹4500–7000 नये वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड–पे–₹ 2800 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन समायोजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1)प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में ₹ 4500–7000 नये वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड–पे–₹ 2800 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 वेतनमान ₹ 5000–8000 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे–₹ 4200 केवल एक बार के लिए ही इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाय कि जैसे–जैसे पदधारक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु अथवा अन्य कारण से वाहन चालक ग्रेड–1 के पद रिक्त होगें, वैसे–वैसे ग्रेड–1 के उक्त पद वाहन चालक के द्वारा धारित मौलिक पद में स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे।

(2)केवल एक बार के लिए की जा रही उक्त व्यवस्था के बाद भविष्य में ग्रेड–1 का वेतनमान केवल मात्राकृत पदों की संख्या में आने वाले पदधारकों को ही अनुमन्य होगा।

(3)उक्तानुसार आदेश निर्गत किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 अगस्त,2007 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या: 854/xxvii(7)/2011
देहरादून, दिनांक 31 मार्च 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01-01-2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण को निरस्त किया जाना।

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में शासनादेश संख्या: 395/xxvii(7)/2010 दिनांक:17 अक्टूबर,2008 के कम में दिनांक 01-01-2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 41/xxvii (7)/2010 दिनांक 13 फरवरी,2009 ही निर्गत किया गया, परन्तु इसमें वेतन निर्धारण की कट ऑफ डेट का उल्लेख नहीं हो पाया है।

उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित निर्गत शासनादेश संख्या:395/xxvii (7)/2010 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को आधार मानते हुए कट ऑफ डेट 17 अक्टूबर, 2008 रखते हुए इस तिथि के पूर्व नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण संबंधित शासनादेश संख्या: 41/xxvii (7)/2010 दिनांक 13 फरवरी,2009 की निहित व्यवस्थानुसार किया जाएगा तथा इस तिथि के बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का संशोधित वेतन ढाँचे में प्रविष्टि वेतन का निर्धारण संगत वेतन बैण्ड के न्यूनतम में ग्रेड वेतन को जोड़ते हुए निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार के गजट दिनांक 29 अगस्त,2008 में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके बाद नये रिक्रूटों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारण इन नियमों की प्रथम सूची का भाग "क" का खण्ड-II वेतन बैण्ड में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा तथा दिनांक 01-01-2006 से और अधिसूचना के जारी होने के तारीख के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा।

अतः उक्त के संबंध में विभिन्न कर्मचारियों संघो द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01-01-2006 अथवा शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2010 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 जारी होने की तिथि के बीच नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या:598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या:41/xxvii (7)/2010 दिनांक 13 फरवरी,2009 में उल्लिखित वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारण किया जाए।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

(6)

महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्या- 53 /XXIV(1)/2011-45/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

2. राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान/सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय समिति, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 18 अप्रैल,2011

विषयः- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा-12 (1)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-296/XXIV(1)/2011-45/ 2008, दिनांक 07.04.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. सन्दर्भित शासनादेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा-12 (1)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में बिन्दु संख्या (5) के रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> "यथा अधिसूचित 2(d) अपवंचित समूह (Disadvantaged group) तथा 2(e) कमजोर वर्ग (Weaker sections) हेतु अनुमन्य 25 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत बालिकायें अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाँय।"

3. उक्त शासनादेश को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें/निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक, (122) संख्या: 63 /XXVii(7)27(8)/2011

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:05 जुलाई,2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषयक शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(iii) में यह व्यवस्था की गयी है कि "₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जायेंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी।" उपरोक्त विषय में विभिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होगी अथवा नहीं।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में की गयी व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

3– उपर्युक्त शासनादेश 24 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या-662/XXIV(1)/2011-45/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांक 08 जून,2011

विषयः-- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या-143/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-144/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-145/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-146/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12 दिनांक 29.04.2011 एवं पत्र संख्या-147/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/ 2011-12, दिनांक 29.04.2011 के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु निम्न दिशा-निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय--

(क) विद्यालय में प्रवेश के दौरान कैपिटेशन शुल्क तथा बच्चे अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों की अनुवीक्षण प्रक्रिया को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में--

राज्य में "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009" की धारा-13(1) के प्रावधानों के अनुसार बच्चे के प्रवेश के समय कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही किसी भी बच्चे के प्रवेश हेतु बच्चे अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया (स्क्रीनिंग) अपनायेगा। धारा-13(2) के अनुसार कैपिटेशन शुल्क लिये जाने की दशा में प्रभारित कैपिटेशन शुल्क के दस गुना तक दण्ड का प्राविधान है जबकि बच्चे को अनुवीक्षण प्रक्रिया से गुजारने पर प्रथम उल्लंघन पर रू0 25000/- तक की सीमा तक दण्ड का प्राविधान है जबकि इसके बाद प्रत्येक बार के उल्लंघन पर रू0 50000/- तक की सीमा तक दण्ड का प्राविधान है। अधिनियम की धारा-2(b) में कैपिटेशन शुल्क को निम्नवत परिभाषित किया गया है--

"कैपिटेशन शुल्क का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे दान (Donation) या अंशदान या भुगतान से है जो कि विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त हो"।

अधिनियम की धारा-2(o) में अनुवीक्षण/स्क्रीनिंग प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए उल्लिखित किया गया है कि "अनुवीक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य [illegible]

-2-

प्रक्रिया के अतिरिक्त बच्चे के प्रवेश हेतु किसी ऐसी अन्य चयन प्रक्रिया जिसमें किसी एक बच्चे को दूसरे से वरीयता देते हुए प्रवेश दिया जाता है"।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर विद्यालयों द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क कदापि न लिया जाय तथा प्रवेश के समय बच्चों अथवा उनके माता-पिता/अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया न अपनायी जाय।

(ख) बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक अनुत्तीर्ण करने अथवा विद्यालय से निष्कासित किये जाने पर प्रतिबन्ध के संबंध में:-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 की धारा-16 के प्राविधानानुसार किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश होने के बाद प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक न तो किसी कक्षा में रोका जा सकेगा तथा न ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-16 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि "No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education".

अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-16 का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबन्धन के विरूद्ध उन पर लागू सेवा नियमावली के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(ग) बच्चों को शारीरिक दण्ड दिये जाने एवं मानसिक प्रताड़ना प्रतिबन्धित करने के संबंध में-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-17 (1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना न दी जाय। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा किसी अध्यापक द्वारा किसी विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड देने सम्बन्धी आरोप सिद्ध पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सरकारी सेवक आचरण नियमावली एवं उस पर लागू सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा-17 (2) में भी प्राविधानित है। अशासकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा दोषी प्रधानाचार्य/अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की भी कार्यवाही की जा सकेगी।

(घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण गतिविधियाँ किये जाने को प्रतिबन्धित करने के संबंध में-

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा-28 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि "No teacher shall engage himself or herself in private tution or private teaching activity". अर्थात कोई भी शिक्षक अपने आप को निजी ट्यूशन गतिविधियों अथवा निजी शिक्षण गतिविधियों

अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–28 में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में विद्यालय परिसर अथवा परिसर से बाहर निजी ट्यूशन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध उस पर लागू सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अन्य प्रकरणों में प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

(छ) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा आयोजित न किये जाने के संबंध में–

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–30 (1) के प्राविधानानुसार किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चों हेतु किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा आयोजित न की जाय। प्रदेश के शैक्षिक प्राधिकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०ई०आर०टी०) नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–30(2) के प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड् सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
5. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नरेन्द्रनगर (टिहरी)।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
8. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ०पी०तिवारी)
(उप सचिव।)

संख्या: 297/XXVii(7)02 / 2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 30 सितम्बर,2011

विषय: दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2011 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:745 / XXVii(7)म.भ. / 2010 दिनांक 08 नवम्बर,2010।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)2008संख्या–II(ख) दिनांक 31 मार्च,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या:745 / XXVii(7)म.भ. / 2010 दिनांक 08 नवम्बर,2010 द्वारा दिनांक 1–7–2010 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 103 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 08 नवम्बर,2010 एवं 31 मार्च,2011 के क्रम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2011 से महंगाई भत्ते को 103 प्रतिशत से बढ़ाकर 115 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस–42(एम) / 97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति / संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2011, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों की दिनांक 01 जनवरी,2011 से 30 सितम्बर,2011 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:207 /xxvii(7)34 /2011
देहरादून, दिनांक:13 अक्टूबर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय:–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त

(85)

संख्या 216 /XXVII(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 14 अक्टूबर,2011

विषय:–राज्य कर्मचारियो के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या:85/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के संलग्नक का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:85/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के विषय में शासन स्तर पर विभिन्न स्रोतों से जिज्ञासा की जा रही है कि ए0सी0पी0 के विषय में शासनादेश संख्या:10/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 समूह 'घ' के विषय में संलग्नक के उदाहरण–1 के विषय में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04 अगस्त,2011 के संलग्नक में ए0सी0पी0 के आंगणन हेतु किये गये संशोधन के फलस्वरूप ए0सी0पी0 का नकद लाभ दिनांक 01–9–2008 में अनुमन्य होगा या नहीं।

2– प्रदेश के समूह 'घ' के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)/वे0आ0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के द्वारा ₹1300, ₹1400 एवं ₹1650 के ग्रेड पे का तात्कालिक प्रभाव से पे बैण्ड–1 ₹5200– 20200 पे ₹1800 ग्रेड पे में पुनरीक्षित किया गया था और शासनादेश संख्या:07/XXVII(7)/27(V)/2011 दिनांक 06 अप्रैल,2011 के द्वारा उक्त वर्ग के समस्त कार्मिकों को (ए0सी0पी0 प्राप्त तथा नान ए0सी0पी0 प्राप्त कार्मिकों) को तात्कालिक प्रभाव दिनांक 24 मार्च,2011 से अनुमन्य लाभ को दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक (नोशनल) आधार पर करते हुए नकद भुगतान दिनांक 24 मार्च,2011 से किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

3– उक्त प्रस्तर–2 के शासनादेशों की व्यवस्था के दृष्टिगत ही समूह 'घ' के ए0सी0पी0 के विषय में निर्गत शासनादेशों संख्या:85/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक में संशोधित ग्रेड पे के अनुसार लाभ केवल सेवावधि के प्रयोजन हेतु आगणित करके अनुमन्य करने की व्यवस्था की गई थी, अर्थात चूंकि किसी पद पर मौलिक रूप से कार्यरत पदधारक तथा ए0सी0पी0 के आधार पर कार्यरत पदधारक, दोनों को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 06–04–2011 के साथ वेतन बैण्ड–1 में ₹5200–20200 में ग्रेड पे ₹1800 का लाभ दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च,2011 वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है अतः ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु आगणन का आशय दिनांक 01 सितम्बर,2008 से कमशः ₹1400 ₹1800 एवं ₹2000 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह 'घ' के कार्मिकों के ₹1900 ₹2000 एवं ₹2400 के अनुसार काल्पनिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा और इसी शासनादेश के अनुसार मौलिक रूप से प्राप्त कर रहे वेतन तथा ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहे लाभ को दिनांक 24 मार्च,2011 से नकद किया गया है।

4– यदि उक्त वर्ग के कार्मिकों को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04–08–2011 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01–09–2008 से नकद भुगतान त्रुटिपूर्वक कर दिया गया है तो उस अवधि के भुगतान की धनराशि की वसूली आसन्न किस्तों में करने की कार्यवाही संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा अविलम्ब की जाएगी।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या–1105/xxiv–4/2011–10(75)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06(4)/63340/134/2011–12, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सम्बन्ध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार, शासनादेश संख्याः 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 के कॉलम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान क्रमशः ₹ 2550–3200, ₹ 2610–3540 तथा ₹ 2650–4000 के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0, ₹ 4440–7400 तथा ग्रेड वेतन क्रमशः ₹ 1300/–, ₹ 1400/– एवं रू0 1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ₹ 1800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(i) शासनादेश संख्याः 283/xxvii(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जायेगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹ 1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया है उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹ 1900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹ 1300/–, ₹ 1400/– एवं ₹ 1650/– के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जायेगा, जहां पर ग्रेड पे ₹ 1800/– के पद कम पड़ते हैं (कार्यरत पदों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹ 1300/–, ₹ 1400/– एवं ₹ 1650/– के पद रू0 1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जायेंगे।

...2

(iii) ₹ 1800/- की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹ 1800 ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2- शासनादेश संख्या-877/XXVI(7) च.क्षे./2011,दिनांक 24 मार्च, 2011 के क्रम में समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण संशोधन भी नियमानुसार लागू होंगें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0-111A/XXVII(7)/2011,दिनांक 14.12.2011में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या-*1109* xxiv-4/2011, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–662/xxiv–4/2011–10(75)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषय– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06(4)/63340/134/2011–12, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त योजना दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹ 7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹ 4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 01–09–2008 से तथा वेतनमान ₹ 8000–13500 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹ 5400 तथा उससे ऊपर के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के पदधारकों के लिए दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगी।

(2) (i) ए०सी०पी० के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष, व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाविधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन में की गई सेवाओं को छोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा

...2

उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान-फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नानफंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए०सी०पी० के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं संबन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

...3

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या:-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के स्तम्भ-4 एवं 5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेश अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायें। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/ समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगें।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के प्रावधानों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब अर्हता के क्षेत्र में

...4

H.S

सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक की वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत है और उन्हें निम्न पदों के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31.08.2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.08.2008 तक लागू समयमान वेतनमान, की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगेः—

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले ₹ 10 में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/ जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड

...5

एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम 06 माह के उपरान्त पड़ने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जनवरी/जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जायें, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

...6

H.S.

टिप्पणी:- उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध हैं।

3- पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगें।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/ लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 सितम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे:?

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नानफक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नाफक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पद क साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

...7

4- वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी को उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5- (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की केस-टू-केस प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बैठक आयोजित कर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6- ए०सी०पी० की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7- ए०सी०पी० की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8- ए०सी०पी० की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या: 395/XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं० 111/XXVII(7)/2011,दिनांक 14.12.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या- 662 (1)/xxiv-4/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री को मा० शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

..8

ss.

संख्या २८६/XXVII(7)09(11)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक 30 दिसम्बर,2011

विषय:—अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09—11—2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3531/5—6—04—294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहें है, के स्वंय तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है तथा इसी आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 603/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई,2010 उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (09—11—2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहें है तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09—11—2000 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस राज्य के लिए स्थानांतरित किये गये है कि पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्जीय समायोजन हेतु विहित प्रकिया के अनुसार किये जाने के संबध में निर्देश जारी किये गये है।

उत्तर प्रदेश राज्य, वित्त(सामान्य) अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या:सा0—3—861/दस—2011 दिनांक 04 अगस्त,2011 के साथ संलग्न चिकित्सा अनुभाग—6 के शासनादेश संख्या:1892/5—6—11—294/ 96 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त,2011 द्वारा चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:3531/5—6—04—294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने पर सहमति दी गयी है।

2— उत्तर प्रदेश राज्य दी गयी उक्त सहमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09—11—2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहें है, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3— राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तर्राज्जीय समायोजन के माध्यम से किया जाएगा।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–6,
संख्या– 130/XXVII(6)–एक–1000–2011/2015,
देहरादून: दिनांक 11 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत राज्य में स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त संस्थाओं, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के डाटाबेस तैयार किये जाने के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 397/XXVII(6)/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के क्रम में निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में स्थापित डेटा सेंटर द्वारा राज्य एन0आई0सी0 के सहयोग से एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के समान साफ्टवेयर विकसित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त वर्णित निकायों/सहायता प्राप्त संस्थाओं–विद्यालयों, महा विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के कार्मिकों का वेतन एवं सेवा निवृत्त पेंशनरों के पेंशन के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त प्रक्रिया दिनांक 1–7–2015 से लागू होगी। सभी सम्बन्धित संस्थाएँ अपने कार्मिकों एवं पेंशनरों का डेटा बेस www.ekosh.uk.gov.in कोषागार पोर्टल पर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 30–06–2015 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

2. ई–पी0एल0ए0 कार्य करने वाले आहरण वितरण अधिकारी जिन्हें निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी की विभागीय वेबसाईट www.ekosh.uk.gov.in पर Login ID व पासवर्ड पहले से प्राप्त है, वे इसकी सहायता से कार्मिकों/पेंशनरों का डेटा अपडेशन तथा वेतन/पेंशन का ऑनलाइन देयक तैयार करने का कार्य उक्त साफ्टवेयर पर कर सकेंगे।

3. सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा अपने अधीनस्थ विद्यालयों के प्रधानाचार्य को TAN (आयकर विभाग से जारी) नम्बर के आधार पर यूजर बनायेगा जिससे सम्बन्धित प्रधानाचार्य की Login ID जनरेट होगी तथा प्रधानाचार्य सॉफ्टवेयर पर कार्य हेतु अपना पासवर्ड बनायेगा। इसकी सहायता से सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य साफ्टवेयर पर अपने कर्मचारियों का डेटा बेस तैयार करायेंगे। प्रत्येक कार्मिक के डेटा बेस तैयार होने पर उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। प्रत्येक विद्यालय द्वारा साफ्टवेयर पर डेटा बेस तैयार करके इसका प्रिन्ट लेकर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी/वित्त अधिकारी द्वारा यूनिक आईडी को अपने सिस्टम में फीड करते ही समस्त डाटा आहरण वितरण अधिकारी/वित्त अधिकारी के सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी/वित्त अधिकारी अपने Login ID व पासवर्ड की सहायता से सम्बन्धित कार्मिकों का मासिक वेतन साफ्टवेयर पर तैयार करके सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करेंगे।

4. ऑनलाइ [illegible]
एवं सर्व [illegible]
पासवर्ड [illegible]
कार्य [illegible]
डाटा [illegible]
वितरण [illegible]
करना [illegible]
वेतन/ [illegible]
कोषा [illegible]
प्रस्तु [illegible]

5. सम्ब [illegible]
करने [illegible]
निर [illegible]
अन [illegible]

6. प्रल [illegible]
जा [illegible]

7. स [illegible] ई-[illegible]

8. ई-[illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

से संसुगत लेखा शीर्षक में प्राप्ति के रूप में जमा किया जाय एवं वेतन इत्यादि की पूर्ण धनराशि अनुदान से भुगतान की जाय।

11. उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्य जानकारी प्रदान करने एवं समस्या के समाधान हेतु निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को अधिकृत किया जाता है।

सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को उक्त प्रक्रिया को दिनांक 1-7-2015 से लागू करना सुनिश्चित करें तथा उक्त हेतु समस्त औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या 130 (1)/ XXVII(6)-एक-1000-2011/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास/शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक/निदेशक शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।
7. निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून।
8. निदेशक पंचायती राज निदेशालय, देहरादून।
9. समस्त प्रधानाचार्य, अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
11. समस्त सम्बन्धित वित्त नियंत्रक,उत्तराखण्ड।
12. समस्त कोषागार/उपकोषागार अधिकारी,उत्तराखण्ड।
13. विभागीय आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक/7 अक्टूबर, 2017

विषय: राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय वेतन/भत्तों की बकाया राशि का भुगतान निम्न प्रकिया के तहत भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तथा 01 जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए संबंधित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। उक्त जमा राशि केवल ऐसे मामलों में जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।
3. ऐसे कार्मिक, जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
4. नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि संबंधित कार्मिकों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नकद भुगतान की जायेगी।
5. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए है, को उक्त अवधि के एरियर का भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त नकद रूप में किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमश:........2

संख्या- [illegible] /XXVII[illegible] 0)/2016/54/2012

प्रेषक

[illegible] सिंह [illegible]
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं [illegible]
[illegible] लक्ष्मी रोड, [illegible]
[illegible] देहरादून।

वित्त अनुभाग-10 देहरादून, दिनांक 25, अप्रैल, 2016

विषय- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक [illegible] द्वारा [illegible] **प्राप्त अशासकीय** विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में **कार्यरत शिक्षकों को** अधिवर्षता आयु प्राप्त करने उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक **प्रदत्त सत्रांत लाभ के** दौरान अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

[illegible] /**प0(सा0प्र0)/2017** दिनांक [illegible] द्वारा **सत्रांत की अवधि को** सेवानिवृत्ति [illegible] वेतन वृद्धि हेतु [illegible] के लिये [illegible] **न लिये जाने के** सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि सत्रांत लाभ की अवधि की **गणना वेतन वृद्धि एव** सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु की जा रही है।

3- [illegible] **2018** एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 208 दिनांक **03.08.2017** के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि [illegible] **शिक्षक को अधिवर्षता** आयु पूर्ण करने के [illegible] **वृद्धि तथा सेवानिवृत्तिक** [illegible] **करने की तिथि को ही** [illegible] **वेतन माइनस पेंशन** [illegible]

क्रमशः पृष्ठ-2

के सिद्धान्त के आधार पर भुगतान किया जायेगा। दिनांक 03.08.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऐसे प्रकरण जो लम्बित हैं, का निस्तारण पूर्व की भांति करने का कष्ट करें।

भवदीय,
25-5-2018
(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव

संख्याः– /xxvii(10)/2018/54/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव

संख्या: 132 /XXVII(7)40/2018

प्रेषक

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक 05 मई, 2018

विषय– ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को एसी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–770/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 में उपबन्धित है कि रूपये 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में तथा जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, वहां शासनादेश संख्या–395/ XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 में उपलब्ध तालिका के अनुसार अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से अगले वेतनमान के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किया जायेगा।

2– शासन के संज्ञान में यह आया है कि शासनादेश संख्या–161/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के बाद भी कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश की गलत व्याख्या कर प्रोन्नत वेतनमान के रूप में अनुमन्यता से उच्च वेतनमान/ग्रेड पे का लाभ एसी0पी0 के अन्तर्गत दिया जा रहा है। विभिन्न विभागों से प्राप्त सन्दर्भों एवं पृच्छाओं के क्रम में ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को एसी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

(1) ऐसे कार्मिकों के लिए पदोन्नत वेतनमान का तात्पर्य केवल उनके संवर्गीय ढांचे एवं उनकी संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदोन्नति के पदों के वेतनमान से है। जहाँ संवर्गीय ढांचे में पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं हैं वहाँ धारित वेतनमान से अगला वेतनमान एसी0पी0 के रूप में देय होगा।

(2) एसी.पी. की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अन्तर्गत अपेक्षित पदोन्नति के पद के रूप में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पद शामिल नहीं हैं क्योंकि समयमान वेतनमान, एसी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. सम्बन्धी व्यवस्था मात्र राज्य सेवा संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू किया गया है।

(3) जहां राज्याधीन सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में इन्डेक्शन की व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य सेवा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां होती है वहाँ अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पद को राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिकों के लिए एसी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय वेतनमान हेतु पदोन्नति का पद नहीं समझा जायेगा क्योंकि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के नियमों से नहीं अपितु भारत सरकार के नियमों से विनियमित होती है जबकि एसी0पी0 की व्यवस्था राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिक को उक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के अधीन अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदों का वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा अपितु उन्हें वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में तत्समय धारित वेतनमान का अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

3- कृपया उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यदि किसी कार्मिक को उक्त व्यवस्था से इतर अधिक भुगतान किया गया हो तो उसकी वसूली/समायोजन अगामी माहों में देय वेतन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन/पेंशन से की जायेगी।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-7 (1)/XXVII(7)40/2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — /XXVII(7)40/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 04 मई, 2018

विषय– ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए०सी०पी० के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–132/XXVII(7)40/2018 दिनांक 04 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए०सी०पी० के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

2. वित्तीय नियमों एवं उक्त वर्णित शासनादेश में उपबन्धित व्यवस्था से इतर यदि किसी प्रकरण में अधिक भुगतान की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो कृपया नियमानुसार वेतन/पेंशन पुनर्निर्धारित करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के भाग–1 के प्रस्तर–81 (3) की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन/पेंशन से वसूली/समायोजन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–136(1)/XXVII(7)40/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 41 /XXVII(7)50(4)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक/२ सितम्बर, 2017

विषय पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने पर उनको वेतन/भत्तों आदि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में व्यवस्थायें उपबन्धित की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को अतिक्रमित करते हुए पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्नियोजन की अवधि में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित प्राविधान के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वेतन की अनुमन्यता उन्हीं मामलों में रहेगी जिसमें पुनर्नियोजन के पद का दायित्व नितान्त वैज्ञानिक, उच्च तकनीकी अथवा विशेषज्ञता से युक्त हो। पुनर्नियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, वह पुनर्नियुक्ति अवधि में उसका वेतन होगा। महंगाई भत्ता उक्त वेतन एवं पेंशन पर समान रूप से पृथक–पृथक अनुमन्य होगा। यदि किसी अतिविशिष्ट विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के प्रकरण में अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त मा0 मंत्रिमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यों, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यों तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यों के सम्पादन के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। नितान्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की मांग/संस्तुति पर सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व सेवा का इतिहास/स्वास्थ्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का भलि–भांति परिक्षण करके औचित्य के साथ कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से संविदा के आधार पर सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए नियत मानदेय पर तैनाती की जायेगी। उक्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्ध वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा। नियत मानदेय पर महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. पुनर्नियुक्ति/नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्ते, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एवं वेतन में देय महंगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा।
4. पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. पुनर्नियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होंगे जिसके विरुद्ध उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन संबंधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)2013-3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के प्रस्तावों पर वित्त विभाग में विचार किया जायेगा।
10. समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

2- पूर्व में नियोजित कार्मिक, जिन्हें शासनादेश संख्या 319/XXVII-7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं प्राप्त हो रही है, उन्हें उक्त सुविधायें उनके वर्तमान कार्यकाल तक अथवा 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, तक ही अनुमन्य होगी।
3- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि में उक्त कार्मिकों को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
4- पुनर्नियुक्ति केवल निःसंवर्गीय पदों पर की जायेगी। निःसंवर्गीय पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
5- उक्त शासनादेश संवैधानिक पदधारकों पर लागू नहीं होगा।
6- इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश व नियम उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जाए। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : / /XXVII(7)50(4)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
10- निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11- समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–165 /XXVII(7)30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

क्र0 सं0	शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रु0 8700 के लिये निर्धारित मैट्रिक्स लेवल–13	ग्रेड वेतन रु0 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल–13
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

संख्या: /XXVII(7)50(16)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक07 फरवरी, 2018

विषय: पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन निर्धारण की सुस्पष्ट व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–22–(बी)(1) के अन्तर्गत प्राविधानित है। किसी सरकारी सेवक के किसी अन्य पद जिसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके द्वारा धृत पद से सम्बन्धित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो, पर नियुक्ति/पदोन्नति पर शासनादेश सं0–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसके विकल्प के अनुसार पदोन्नति की तिथि को अथवा उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि को क्रमशः मूल नियम–22–(ए)(1) एवं 22–(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

2– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के लिए गठित वेतन समिति की संस्तुतियों पर दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 अथवा समयमान/चयन वेतनमान की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम–22(बी)(1) एवं 22(ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा।

3– उक्तानुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त आगामी वेतन वृद्धि की तिथि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–10(3)में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः......2

संख्याः ~ /XXVII(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक 29 नवम्बर, 2017

विषयः राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–65/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 का कृपया संलग्नक सहित सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा राज्य के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को संशोधित ग्रेड पे के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था की गई थी, अर्थात किसी पद पर मौलिक रूप से कार्यरत पदधारक तथा ए0सी0पी0 के आधार पर कार्यरत पदधारक दोनों को शासनादेश सं0–07/XXVII(7)/27(V)/2011 दिनांक 08.04.2011 के साथ वेतन बैण्ड–1 में रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1800 का लाभ दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च, 2011 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है एवं शासनादेश सं0–216 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में क्रमशः रू0 1400, रू0 1800 एवं रू0 2000 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह–घ के कार्मिकों को, के स्थान पर क्रमशः रू0 1900, रू0 2000 एवं रू0 2400 के अनुसार काल्पनिक रूप से अनुमन्य किया गया है और इसी शासनादेश के अनुसार मौलिक रूप से प्राप्त कर रहे वेतन तथा ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहे लाभ को दिनांक 24 मार्च, 2011 से नकद किए जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गई है। शासनादेश सं0–589/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 01.07.2013 के प्रस्तर–2(3) के अनुसार ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा।

2. शासनादेश सं0–1014/01 वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च, 2001 सपठित शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 में वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

3. शासनादेश सं0–327/XXVII(3)/सं0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 में समयमान वेतनमान व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नतीय पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवानियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी की प्रोन्नति

वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के आधार पर की जाती हो, परन्तु जिन पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के साथ–साथ योग्यता/उच्च अर्हता/मैरिट के आधार पर हो, वे पद समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु पदोन्नतीय पद नहीं माने जायेंगे। ऐसे मामलों में अन्य शर्तों की पूर्ति की दशा में अगला उच्चतर वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में अगला उच्च स्तर जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर– 2 एवं 3 में स्पष्ट किया गया है, देय होगा।

4. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–589/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 01.07.2013, सं0–770/XXVII(7)/40(IX)2011 दिनांक 06.11.2013, एवं सं0–26/XXVII(7)/40(IX)/2011TC दिनांक 25.02.2014 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए समूह–घ के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन क्रमशः रू0 2000, रू0 2800 एवं रू0 4200 अनुमन्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि समूह–घ के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के अंतर्गत शासनादेश सं0–216 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 एवं सं0–589 दिनांक 01 जुलाई, 2013 के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 1900, रू0 2400 एवं 2800 ही अनुमन्य है।

5. कतिपय विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेश सं0–136 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए अपने कार्मिकों को पदोन्नति/समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी फिटमैन्ट तालिका (शासनादेश सं0–395 दिनांक 17.10.2008 एवं सं0–41 दिनांक 13.02.2009 की तालिकाऐं) का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है। यहां यह स्पष्ट करना है कि किसी भी कार्मिक को फिटमैन्ट तालिका का लाभ पांचवें वेतन आयोग के वेतनमानों से छठवें आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों में वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि फिटमैन्ट तालिका का लाभ केवल एक बार ही वेतन पुनरीक्षण में अनुमन्य है। किसी कार्मिक की पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त सामान्य वित्तीय नियम लागू होंगे।

6. शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा शासनादेश सं0–732 दिनांक 25 सितम्बर, 2013 की व्यवस्था का लाभ समस्त अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 के कार्मिकों को भी अनुमन्य किया जा रहा है। स्पष्ट किया जाना है कि कुछ विभागों में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व लागू अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 को दिनांक 01.01.2006 के पश्चात अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 7450–11000 में उच्चीकृत/संशोधित किया गया। शासनादेश सं0–395 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में उक्त वेतनमान की फिटमैन्ट तालिका दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके उपरान्त उच्चीकरण/पुनरीक्षण वेतनमान के लिए उपलब्ध न होने के कारण उक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 सादृश्य पी0बी0–2 रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600 की फिटमैन्ट तालिका निर्गत की गई है। अतः स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2013 का लाभ उन पदधारकों को अनुमन्य नहीं होगा जिनके अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 को रू0 7450–11000 में उच्चीकृत नहीं किया गया है।

7. शासनादेश सं0–700/XXVII(7)/30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 सपठित शासनादेश सं0–745/XXVII(7)27(20)2013 दिनांक 10 अक्टूबर2013 द्वारा वाहन भत्ते की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों के अनुसार पुनरीक्षित वाहन भत्ता उन कार्मिकों को भी अनुमन्य किया जा रहा है जिनका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38(1)सपठित परिशिष्ट–12 एवं नियम–82 सपठित परिशिष्ट–8 में नहीं है। इस प्रकार यह वित्तीय अनियमितता है।

8. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित उक्तानुसार व्यवस्था के विपरीत अनुमन्यता से अधिक के वेतन/वेतनमान, समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन/भत्ते स्वीकृत कर दिए गए हैं, वे अपने आदेशों का

परीक्षण करके देय तिथि को सही वेतनमान/भत्तों के निर्धारण के आदेश निर्गत करें। जो भी अधिक धनराशि सम्बन्धित कर्मियों को भुगतान की गई है, उस धनराशि का सम्बन्धित कर्मी के आगामी माहों में प्राप्त हो रहे वेतन से करके उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भविष्य के लिए किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमन्यता से अधिक का वेतनमान/भत्ते उक्त की भांति स्वीकृत करने से यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है और यह तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का भी यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लायें। त्रुटिपूर्ण वेतनमान अनुमन्य होने पर उस कर्मी के गलत वेतनमान के आधार पर अधिक धनराशि के कोषागार से आहरित होने पर वह भी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

9. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या:/6//XXVII(7)/40(IX)/2011, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग अनुभाग–1
पत्रांक: ... /XXVII(1)/2016
दिनांक : 05 सितम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या सी–13015(460)MFCGA/PFMS/2016–17/1136–1165 दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा केन्द्र सेक्टर तथा राज्य सेक्टर को विभिन्न स्कीमों में दिये जाने वाले अनुदानों/निधियों को तत्क्षण समय पर जारी करने, सीधे लाभार्थियों को त्वरित भुगतान करने एवं इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के साथ ही केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण के लिए राज्य में Public Fund Management System (PFMS) को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे समस्त विभाग जिन्हें भारत सरकार से विभिन्न स्कीमों में निधि/अनुदान प्राप्त होता है, उन विभागों में भारत सरकार से निधि/अनुदान प्राप्त करने के लिए Public Fund Management System (PFMS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है :–

1. वित्त विभाग के स्तर से उक्त कार्ययोजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एडवाईजरी ग्रुप का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 997/ 29(150)/ XXVII (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।
2. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 997/29(150)/ XXVII (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (SPMU) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 996/29(150)/XXVII (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) का गठन कर लिया गया है।
3. PFMS पोर्टल का कोषागार पोर्टल से FTP के माध्यम से इन्टीग्रेशन किया जा चुका है, जिससे दोनों पोर्टलों के मध्य डाटा का आदान–प्रदान, सिस्टम पर स्वतः एवं वास्तविक समय (Real Time) पर होगा।
4. राज्य बजट निदेशालय के द्वारा केन्द्रीय सी0एस0एस0/ई0ए0पी0 योजनाओं की राज्य सरकार की योजनाओं से मैपिंग की जा चुकी है।
5. PFMS के सम्बन्ध में सूचनाएं वित्तीय डेटा सेंटर में स्थापित हेल्प डेस्क न0 8899890000 से प्राप्त की जा सकती हैं।

Public Fund Management System (PFMS) के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नवत् औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

1. समस्त विभाग अपने अधीनस्थ गठित ऐसे SPV एवं संस्थाओं, जिनके माध्यम से भारत सरकार से सीधे धनराशि हस्तान्तरित की जाती है, को PFMS पोर्टल में राज्य स्तरीय संस्था (State Implementing Agency) के रूप में पंजीकृत करायेंगे। पंजीकरण हेतु PFMS पोर्टल

(pfms.nic.in) के मुख्य पृष्ठ पर पंजीकरण का icon उपलब्ध है। उक्त पंजीकरण के पश्चात सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के कार्यक्रम अनुभाग (प्रोजेक्ट डिवीजन) तथा मुख्य लेखा कार्यालय द्वारा उक्तानुसार पंजीकृत एजेन्सीज को अनुमोदित किया जायेगा। तदपश्चात एजेन्सी उपलब्ध कराये गये लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करेगी।

2. PFMS के लिए प्रथम स्तर के State Implementing Agency (SIA) बनने के बाद निधि/धनराशि को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से विभागाध्यक्ष, जिला स्तर, ब्लाक स्तर एवं पंचायत स्तर तक जिस स्तर तक आवंटन किया जाना है, उन सभी स्तरों को Child Level agency के रूप में PFMS में पंजीकृत करवाया जाना होगा। पंजीकरण के उपरान्त प्रत्येक स्तर का अपना पृथक-पृथक लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड होगा।
3. PFMS में पंजीकरण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया PFMS की वेबसाईट pfms.nic.in पर तथा कोषागार पोर्टल ekosh.uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।
4. प्रत्येक प्रशासनिक विभाग अपने विभाग के लिए उक्त कार्यों के मानिटरिंग,स्कीमों की मैपिंग, आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने एवं पत्रावार इत्यादि के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी, जो राज्य नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगा।
5. PFMS के कियान्वयन के लिए राज्य एन0आई0सी0 तकनीकी नोडल अधिकारी होगा, जिसका दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित State Implementing Agency तथा निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी से समन्वय स्थापित करते हुए कोषागारों को Public Fund Management System से इन्टीग्रेशन, State Implementing Agency तथा Child Level agency के Public Fund Management System से पंजीकरण तथा Central Assistace Scheme to State Plan (CASP) से राज्य/केन्द्र की स्कीमों को मैपिंग कराने में सहयोग करेंगे तथा किसी तकनीकी परामर्श की आवश्यकता पर तकनीकी परामर्श प्रदान करेंगे।
6. PFMS के सफल संचालन, कियान्वयन,प्रशिक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर SPMU का गठन 23-लक्ष्मीरोड, देहरादून तथा DPMU का गठन जनपदीय कोषागारों में कर दिया गया है, जो विभिन्न हितधारकों के मध्य सामन्जस्य स्थापित कर समयबद्ध रूप से योजना का कियान्वयन करायेंगे।
7. ऐसे विभाग जो लाभार्थियों को "आधार" के माध्यम से "प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण" योजना के अन्तर्गत धनराशि स्थानन्तरित करते हैं, वे PFMS पोर्टल के माध्यम से आधार बेस भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थियों का विभागीय डाटाबेस से "आधार" नम्बर 'सीड' (Seeding) दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
8. ऐसे विभाग जो PFMS के माध्यम से लेन-देन नहीं करेंगे उन्हें भविष्य में भारत सरकार के स्तर से प्राप्त होने वाला अनुदान/निधि बन्द की जा सकती है।

उपरोक्त कार्ययोजना के प्रगति के संदर्भ में प्रत्येक 15 दिनों में कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जायेगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7
संख्या: 03/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016"** प्रख्यापित किये गये हैं जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उल्लिखित की गयी है।

2– उक्त अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 (वेतन मैट्रिक्स) के स्तर–4 (ग्रेड वेतन 2400) की आठवीं कोष्ठिका में टंकण त्रुटिवश **"31400"** के स्थान पर **"41400"** टंकित हो गया है। अतः वेतन स्तर–4 की आठवीं कोष्ठिका में टंकित धनराशि "41400" के स्थान पर "31400" पढ़ी जाय।

3– उक्त वेतन नियम की संलग्न अनुसूची–1 (वेतन मैट्रिक्स) उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या: 03 /XXVII(7)50(16)/2016 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

प्रेषक, संख्या– 05 /XXVII(7)/50(16)/2016

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक 05/जनवरी, 2017

विषय– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016"** प्रख्यापित किये गये हैं जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2. पूर्व में यह देखा गया है कि वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा गलत वेतन निर्धारण किये जाने के कारण शासन को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है एवं कतिपय मामलों में न्यायालयों में विधिक वाद का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण ekosh.uk.gov.in में साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाय। जिससे किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो और नियमों के आलोक में सभी कार्मिकों का वेतन निर्धारण समान रूप से किया जा सके। साथ ही किसी कार्मिक को गलत वेतन निर्धारण किये जाने की शिकायत का मौका भी न मिले।

3. उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि निदेशक, कोषागार के web Portel पर उल्लिखित ekosh.uk.gov.in में वेतन निर्धारण सम्बन्धी साइट में वांछित सूचना अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि इस माह का वेतन नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में निर्धारित करते हुये राज्य कार्मिकों को उक्त का लाभ अनुमन्य किया जा सके।

4. उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की अस्पष्टता/कठिनाई/सुझाव हो तो कृपया ekosh हेल्प लाइन नं0 0135-3041613 एवं 88 99 89 00 00 से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– \ /XXVII(7)/50(16)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /XXVII(7)30(8)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून दिनांक:२१ दिसम्बर, 2016

विषयः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक 27.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वित्त विभाग के उपरिउल्लिखित संकल्प दिनांक 27.12.2016 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) अनुमन्य किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी हैं।

3– उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे नियमित कार्मिक, जिन्हें सरकारी सेवकों की भांति छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य हैं, को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सम्बन्धित निगम/उपक्रम के बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– वेतन समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो उपक्रम/निगम बी.आई.एफ.आर. में संदर्भित है और उनके द्वारा इस हेतु पंजीकृत किये गये हैं अथवा समापन की प्रक्रिया में हैं अथवा विचाराधीन है, उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

5– उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जहाँ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो तो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में दी गयी प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

<u>संख्या २९१ /xxvii(7)30( )/2016 तद्दिनांक</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव/प्रभारी सचिव को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के अधीन गठित निगमों/उपक्रमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नये वेतन मैट्रिक्स में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से यथाप्रक्रिया अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनुभाग–7

संख्या–२७० /XXVII(7)50(16)/2016

देहरादून : दिनांक–२८ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।

(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियाँ जिन पर ये नियम लागू होंगे– 2. (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।

(2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे–

(i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;

(ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;

(iii) शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई० एवं आई०सी०ए०आर० के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;

(iv) जूनियर डॉक्टर/कार्य प्रभारित कर्मचारी;

(v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;

(vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान

1

किया जाता है; जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं

3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत मे धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

<u>स्पष्टीकरण</u>– ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह

अभिप्राय होगा कि– उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा–निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची–1 में यथा–विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर 4. संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा–विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड

और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण

5. इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० के कारण उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

<u>स्पष्टीकरण–1</u> इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

<u>स्पष्टीकरण–3</u> जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग 6. (1) नियम-5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-2 में लिखित रूप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चातवर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि–

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप-नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

<u>टिप्पणी–1</u> ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर

सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

<u>टिप्पणी-2</u> ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

<u>टिप्पणी-3</u> ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

7. (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-

(क) <u>**सभी कर्मचारियों के मामले में**</u>

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरूपी (Corresponding) कोई समरूप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम

राशि), उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। (उदाहरण–एक)

<u>ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने दिनांक 01–01–2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत किया है–</u>

<u>उदाहरण</u>

<table>
<tr><td rowspan="14">दिनांक 31–12–2015 को :–
1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी–1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन:
10160
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560
(10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी
लेवल : लेवल 4
7. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): 32300</td><td>वेतन बैंड</td><td colspan="5">5200–20200</td></tr>
<tr><td>ग्रेड वेतन</td><td>1800</td><td>1900</td><td>2000</td><td>2400</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>लेवल</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>18000</td><td>19900</td><td>21700</td><td>25500</td><td>29200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>18500</td><td>20500</td><td>22400</td><td>26300</td><td>30100</td></tr>
<tr><td>3</td><td>19100</td><td>21100</td><td>23100</td><td>27100</td><td>31000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>19700</td><td>21700</td><td>23800</td><td>27900</td><td>31900</td></tr>
<tr><td>5</td><td>20300</td><td>22400</td><td>24500</td><td>28700</td><td>32900</td></tr>
<tr><td>6</td><td>20900</td><td>23100</td><td>25200</td><td>29600</td><td>33900</td></tr>
<tr><td>7</td><td>21500</td><td>23800</td><td>26000</td><td>30500</td><td>34900</td></tr>
<tr><td>8</td><td>22100</td><td>24500</td><td>26800</td><td>31400</td><td>35900</td></tr>
<tr><td>9</td><td>22800</td><td>25200</td><td>27600</td><td>32300</td><td>37000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>23500</td><td>26000</td><td>28400</td><td>33300</td><td>38100</td></tr>
<tr><td>11</td><td>24200</td><td>26800</td><td>29300</td><td>34300</td><td>39200</td></tr>
</table>

(ख) **<u>चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है</u>**, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

<u>उदाहरण</u>

दिनांक 31-12-2015 को :-

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000
5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता : 6563
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 21000X2.57 = 53970
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता : 6563 (5250 का 125%)

वेतन बैंड	15600-39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533 10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी–3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10 11. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300 12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5260 13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

(2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैण्ड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगा:–

<u>ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है–</u>

<u>उदाहरण:</u>

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)
4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800
5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200

(10160+2800) 6. क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित) 7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5 8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : **33900**	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	**33900**
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(6) दिनांक 01-01-2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक है तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में

उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना मे उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका मे उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप मे दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों मे उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) (i) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (identical) पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो;

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप–नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा–निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के मध्य नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि

9. वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत् कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा–विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

	वेतन बैंड	5200–20200				
लेवल 4 में 32300 रूपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत् नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 33300 हो जाएगा।	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300 ⇩	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख

10. (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भाँति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।

(2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम–7 के उप खण्ड–1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

<u>उदाहरण:</u>

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के ज़ारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त है, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार वे अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रक्रियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

15

<u>उदाहरणः</u>

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4

2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700

3. पदोन्नति/एएसीपी/समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में

4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

वेतन बैंड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान/स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर/वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि

14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (एरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u>– इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है :

(i) वेतन और महंगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने

वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

(ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव

15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति

16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन

17. यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

अनुसूची-1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–79000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	–	–
10	11	12	13	13A	14	15	17
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100	
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300	
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600	
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100	
71100	85800	99800	150200	166100	182700		
73200	88400	102800	154700	171100	188200		
75400	91100	105900	159300	176200	193800		
77700	93800	109100	164100	181500	199600		
80000	96600	112400	169000	186900	205600		
82400	99500	115800	174100	192500	211800		
84900	102500	119300	179300	198300	218200		
87400	105600	122900	184700	204200			
90000	108800	126600	190200	210300			
92700	112100	130400	195900	216600			
95500	115500	134300	201800				
98400	119000	138300	207900				
101400	122600	142400	214100				
104400	126300	146700					
107600	130100	151100					
110700	134000	155600					
114300	138000	160300					
117400	142100	165100					
120900	146400	170100					
124500	150800	175200					
128200	155300	180500					
132000	160000	185900					
136000	164800	191500					
140100	169700	197200					
144300	174800	203100					
148600	180000	209200					
153100	185400						
157700	191000						
162400	196700						
167300	202600						
172300	208700						
177600							

संख्या–165/XXVII(7)30(7)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक :12 सितम्बर, 2017

विषय : दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिए तालिका लेवल–13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700/–के लिए निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 के क्रम में अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा जारी उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिए संलग्नक की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल–13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ–3 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित वेतन मैट्रिक्स उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.......2

संख्याः /XXX(2)/2018-30(12)/2018

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः17 अप्रैल, 2018

विषयः विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 एवं अन्य सुसंगत अनुच्छेदों के अधीन गठित सुसंगत सेवानियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियमित नियुक्तियां किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। इससे इतर कतिपय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालिक, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक आधार पर संविदा, कार्यप्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं सेवा प्रदाता संस्था (बाह्य स्रोत) के माध्यम से कतिपय व्यक्तियों को नियोजित किया जा रहा है।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त नियोजित व्यक्तियों अथवा वाह्य स्रोत के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों को बिना व्यवधान के लम्बे समय तक रखे जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रायः "समान कार्य समान वेतन" के आधार पर राज्य के नियमित पदधारकों के समान वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है तथा इस आशय की याचिकायें भी समय-समय पर मा0 न्यायालयों में योजित की जा रही हैं। शासन के समक्ष ऐसे मामले आये हैं, जिनमें उक्त व्यक्तियों द्वारा श्रम न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके नियमित रूप से सेवायोजित कार्मिकों की भांति समान वेतनमान दिये जाने अथवा समकक्ष पदधारक के वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के आदेश प्राप्त किये गये हैं। इसी प्रकार विभाग/अधिष्ठान में पद सृजित न होने पर

भी उक्तानुसार नियोजित व्यक्तियों द्वारा भी समान प्रकृति का कार्य वेतनमान दिये जाने के आदेश प्राप्त कर लिए गये।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम बलराम साहू व अन्य के मामले में ए0आई0आर0 2003 सु0 कोर्ट 33, में व्यवस्था दी है कि दैनिक वेतन, अस्थायी अथवा आकस्मिक श्रमिक नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान (Pay Scale) पाने के हकदार नहीं है। उक्त न्याय–निर्णय के क्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 831/कार्मिक–2/2003 दिनांक 16 जून, 2003 में यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/नियत वेतन एवं वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्ति नियमित कर्मी की तरह समान वेतनमान पाने का हकदार नहीं है।

4. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1803/कार्मिक–2/2002 दिनांक 06 फरवरी, 2003 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/तदर्थ/वाह्यस्रोत से की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक सम्बन्धी निदेश जारी किए गये हैं।

5. उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय नियमों में वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है। दैनिक वेतन एवं बाह्य स्रोत पर तैनात व्यक्ति कोई पद धारण नहीं करता है बल्कि उनकी ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से विभागीय कार्य निस्तारण हेतु उनकी सेवायें ली जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी नियमित कर्मियों के साथ कोई समानता निर्धारित नहीं की जा सकती है। समान कार्य के लिये समान वेतनमान की मांग के लिये यह आवश्यक है कि जिस नियमित पदधारक के साथ तुलना की जा रही है उसके साथ पूर्ण समानता हो अर्थात पद की भर्ती प्रकिया, शैक्षिक योग्यता, अधिमानी अर्हता, कार्य दायित्व, राज्य सरकार द्वारा गठित चयन संस्था के माध्यम से (खुली प्रतिस्पर्धा) से चयन, कार्यावधि, समान योग्यता, आयु सीमा, चरित्र सत्यापन, वैवाहिक प्रास्थिति, राष्ट्रीयता, पद की गोपनीयता एवं संवेदनशीलता के प्रति उत्तरदायित्व आदि मापदण्डों की समानता हो। इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–217 ऑफ 2013 स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के प्रस्तर–42 में 'समान कार्य समान वेतन' के निर्धारण हेतु कतिपय निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

42. All the judgments noticed in paragraphs 7 to 24 hereinabove, pertain to employees engaged on regular basis, who were claiming higher wages, under the principle of 'equal pay for equal work'. The claim raised by such employees was premised on the ground, that the duties and responsibilities rendered by them, were against the same post for which a higher pay-scale was being

allowed, in other Government departments. Or alternatively, their duties and responsibilities were the same, as of other posts with different designations, but they were placed in a lower scale. Having been painstakingly taken through the parameters laid down by this Court, wherein the principle of 'equal pay for equal work' was invoked and considered, it would be just and appropriate, to delineate the parameters laid down by this Court. In recording the said parameters, we have also adverted to some other judgments pertaining to temporary employees (also dealt with, in the instant judgment), wherein also, this Court had the occasion to express the legal position with reference to the principle of'equal pay for equal work'. Our consideration, has led us to the following deductions:-

(i) The 'onus of proof', of parity in the duties and responsibilities of the subject post with the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', lies on the person who claims it. He who approaches the Court has to establish, that the subject post occupied by him, requires him to discharge equal work of equal value, as the reference post (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10, Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15, the Steel Authority of India Limited case16, and the National Aluminum Company Limited case18).

(ii) The mere fact that the subject post occupied by the claimant, is in a"different department" vis-a-vis the reference post, does not have any bearing on the determination of a claim, under the principle of 'equal pay for equal work'. Persons discharging identical duties, cannot be treated differently, in the matter of their pay, merely because they belong to different departments of Government (see – the Randhir Singh case1, and the D.S. Nakara case2).

(iii) The principle of 'equal pay for equal work', applies to cases of unequal scales of pay, based on no classification or irrational classification (see – the Randhir Singh case1). For equal pay, the concerned employees with whom equation is sought, should be performing work, which besides being functionally equal, should be of the same quality and sensitivity (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3, the Mewa Ram Kanojia case5, the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6 and the S.C. Chandra case12).

(iv) Persons holding the same rank/designation (in different departments), but having dissimilar powers, duties and responsibilities, can be placed in different scales of pay, and cannot claim the benefit of the principle of'equal pay for equal work' (see – the Randhir Singh case1, State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9, and the Hukum Chand Gupta case17). Therefore, the principle would not be automatically invoked, merely because the subject and reference posts have the same nomenclature.

(v) In determining equality of functions and responsibilities, under the principle of 'equal pay for equal work', it is necessary to keep in mind, that the duties of the two posts should be of equal sensitivity, and also, qualitatively similar. Differentiation of pay-scales for posts with difference in degree of responsibility, reliability and confidentiality, would fall within the realm of valid classification, and therefore, pay differentiation would be legitimate and permissible (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3 and the State Bank of India case8). The nature of work of the subject post should be the same and not less onerous than the reference post. Even the volume of work should be the same. And so also, the level of responsibility. If these parameters are not met, parity cannot be claimed under the principle of 'equal pay for equal work' (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4, and the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6).

(vi) For placement in a regular pay-scale, the claimant has to be a regular appointee. The claimant should have been selected, on the basis of a regular process of recruitment. An employee appointed on a temporary basis, cannot claim to be placed in the regular pay-scale (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10).

(vii) Persons performing the same or similar functions, duties and responsibilities, can also be placed in different pay-scales. Such as -'selection grade', in the same post. But this difference must emerge out of a legitimate foundation, such as – merit, or seniority, or some other relevant criteria (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4).

(viii) If the qualifications for recruitment to the subject post vis-a-vis the reference post are different, it may be difficult to conclude, that the duties and responsibilities of the posts are qualitatively similar or comparable (see – the

Mewa Ram Kanojia case5, and Government of W.B. v. Tarun K. Roy11). In such a cause, the principle of 'equal pay for equal work', cannot be invoked.

(ix) The reference post, with which parity is claimed, under the principle of 'equal pay for equal work', has to be at the same hierarchy in the service, as the subject post. Pay-scales of posts may be different, if the hierarchy of the posts in question, and their channels of promotion, are different. Even if the duties and responsibilities are same, parity would not be permissible, as against a superior post, such as a promotional post (see - Union of India v. Pradip Kumar Dey7, and the Hukum Chand Guptacase17).

(x) A comparison between the subject post and the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be made, where the subject post and the reference post are in different establishments, having a different management. Or even, where the establishments are in different geographical locations, though owned by the same master (see – the Harbans Lal case23). Persons engaged differently, and being paid out of different funds, would not be entitled to pay parity (see - Official Liquidator v. Dayanand13).

(xi) Different pay-scales, in certain eventualities, would be permissible even for posts clubbed together at the same hierarchy in the cadre. As for instance, if the duties and responsibilities of one of the posts are more onerous, or are exposed to higher nature of operational work/risk, the principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable. And also when, the reference post includes the responsibility to take crucial decisions, and that is not so for the subject post (see – the State Bank of India case8).

(xii) The priority given to different types of posts, under the prevailing policies of the Government, can also be a relevant factor for placing different posts under different pay-scales. Herein also, the principle of'equal pay for equal work' would not be applicable (see - State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9).

(xiii) The parity in pay, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be claimed, merely on the ground, that at an earlier point of time, the subject post and the reference post, were placed in the same pay-scale. The principle of 'equal pay for equal work' is applicable only when it is shown, that the incumbents of the subject post and the reference post, discharge similar

duties and responsibilities (see - State of West Bengal v. West Bengal Minimum Wages Inspectors Association14).

(xiv) For parity in pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', equation in the nature of duties, is of paramount importance. If the principal nature of duties of one post is teaching, whereas that of the other is non-teaching, the principle would not be applicable. If the dominant nature of duties of one post is of control and management, whereas the subject post has no such duties, the principle would not be applicable. Likewise, if the central nature of duties of one post is of quality control, whereas the subject post has minimal duties of quality control, the principle would not be applicable (see - Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15).

(xv) There can be a valid classification in the matter of pay-scales, between employees even holding posts with the same nomenclature i.e., between those discharging duties at the headquarters, and others working at the institutional/sub-office level (see – the Hukum Chand Gupta case17), when the duties are qualitatively dissimilar.

(xvi) The principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable, where a differential higher pay-scale is extended to persons discharging the same duties and holding the same designation, with the objective of ameliorating stagnation, or on account of lack of promotional avenues (see– the Hukum Chand Gupta case17).

(xvii) Where there is no comparison between one set of employees of one organization, and another set of employees of a different organization, there can be no question of equation of pay-scales, under the principle of'equal pay for equal work', even if two organizations have a common employer. Likewise, if the management and control of two organizations, is with different entities, which are independent of one another, the principle of 'equal pay for equal work' would not apply (see – the S.C. Chandra case12, and the National Aluminum Company Limited case18).

8. इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत् स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं :-

(1) स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम सीनियर वोकेशनल स्टॉफ मास्टर एसोसियेसन एवं अन्य सिविल अपील संख्या 632/2008 दिनांक 18.08.2017

(2) स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य बनाम जे0पी0 चौरसिया एवं अन्य (1989) 1 एससीसी 121

(3) श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (1994) 2 एससीसी 521

(4) पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरूण के0 राय एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 347

7. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के क्रम में सभी विभागों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8. मा0 न्यायालयों द्वारा 'समान कार्य समान वेतन' निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर स्थापित मानदण्डों के आलोक में विश्लेषण करने पर नियमित कार्मिकों एवं संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्तियों की प्रास्थिति में सम्प्रति निम्नवत् भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित होती है :-

क्र. सं.	निर्धारित मानक	नियमित कार्मिक हेतु निर्धारित मानदण्ड	संविदा/नियतवेतन/अंशकालिक/तदर्थ/कार्य-प्रभारित/दैनिक वेतन/वाह्यस्रोत से नियोजित व्यक्ति
1.	प्रास्थिति (Status)	संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित सुसंगत नियमावली के अधीन नियुक्त होने के कारण विधिक प्रास्थिति।	विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त न होने के कारण कोई विधिक प्रास्थिति नहीं है।
2.	भर्ती प्रक्रिया	सुसंगत सेवा नियमावली में वर्णित शैक्षिक अर्हता/आयु सीमा/राष्ट्रीयता/वैवाहिक प्रास्थिति/चरित्र आदि विषयक प्राविधानों के आलोक में विधिक संस्थाओं यथा चयन आयोग/चयन बोर्ड के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप अवसर की समानता के आधार पर विज्ञापन (Open Market) के माध्यम से विहित विधिक प्रक्रिया द्वारा भर्ती।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित व्यक्ति विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियोजित नहीं किये जाते है। आउटसोर्स आधारित नियोजन भी किसी आउटसोर्सिंग एजेन्सी या ठेकेदार जैसे तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जाता है। उक्त नियोजन किसी विज्ञापन अथवा खुली चयन प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जाता है। जो अवसर की समानता के अनुरूप नहीं है।
3.	सेवा की शर्तें	संविधान के अनुच्छेद 309 एवं संगत अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त अधिकारों	कोई प्राविधान नहीं है।

		के तहत निर्मित नियमावलियों में वर्णित सेवा की शर्तें।	
4.	परिवीक्षा काल	नियुक्ति/पदोन्नति होने पर सुसंगत नियमावली के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण करना अनिवार्य।	परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
5.	लियन/स्थायीकरण	स्थाई पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने पर नियमित कार्मिक का लियन/स्थायीकरण की व्यवस्था उपबन्धित है।	कोई प्राविधान नहीं।
6.	नियोक्ता–कर्मचारी संबंध	नियोक्ता तथा नियमित कार्मिक के मध्य प्रत्यक्ष एवं विधिक सम्बन्ध होता है।	नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था के मध्य सम्बन्ध होता है। नियोजित व्यक्ति का संस्था से संबंध स्थापित होता है लेकिन नियोजित व्यक्ति का नियोक्ता से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।
7.	भुगतान की प्रकृति	जिस पद के सापेक्ष नियुक्ति होती है उस पद हेतु वित्तीय नियमों/शासन द्वारा निर्धारित वेतन/भत्ते।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों को भुगतान उनके अनुबन्ध में उल्लिखित धनराशि पारिश्रमिक/ मानदेय के रूप में तथा आउटसोर्स पर नियोजित व्यक्तियों को पारिश्रमिक/मजदूरी के रूप में तृतीय पक्ष के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
8.	उत्तरदायित्व	विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त होने के कारण अपने कार्यों एवं विभाग/संगठन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी।	कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।
9.	सेवाकाल	60 वर्ष की आयु तक सेवा अवधि।	अवधि निर्धारित नहीं।
10.	कार्य अवधि	सम्पूर्ण अवधि (24×7) सरकार के अधीन।	अधिकतम 08 घण्टे प्रतिदिन।
11.	दण्डात्मक कार्यवाही	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के प्राविधानों के लघु एवं वृहद दण्ड का प्राविधान।	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 ए अनुशासन एवं अपील नियमावली, 20 से आच्छादित नहीं है।
12.	गोपनीयता	Official Secret Act, 1923 के अन्तर्गत गोपनीयता के प्रतिबद्ध।	कार्यों की गोपनीयता के प्रति को प्रतिबद्धता नहीं।
13.	संवेदनशीलता	सर्वोच्च कानून (संविधान) के अन्तर्गत शासकीय कार्य जनहित को लक्षित करके किये जाते हैं, फलस्वरूप अपने कार्यों के माध्यम से जनहित	जनहित के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।

		के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य होते है।	
14.	सेवा की प्रकृति	पूर्णकालिक नियोजन	अंशकालिक अथवा कार्ययोजना विशेष तक नियोजन।
15.	Volume of Work	संगत नियमों में प्राविधानित।	कार्य निस्तारण हेतु सेवायें ली जाती है।
16.	नियमों का आच्छादन	राज्य सरकार के वित्तीय नियमों एवं सुसंगत सेवा नियमों से आच्छादित।	भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम अधिनियम या अन्य सुसंगत अधिनियम से आच्छादित।
17.	आरक्षण	नियमित नियुक्ति के समय राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित आरक्षण का अनिवार्यता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	——
18.	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन केवल नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को ही किया जा सकता है।	कोई वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किये जा सकते हैं।

9. उक्त प्रकार से प्रास्थिति में भिन्नता होने के कारण तदर्थ (Ad-hoc)/ संविदा (Contractual)/नियतवेतन (Fix pay)/अंशकालिक (Short term)/दैनिक वेतन (Daily wage)/कार्य–प्रभारित (Work charge), वाहयस्रोत (Outsource) से नियोजित व्यक्तियों की नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों से समानता नहीं है इन आधारों तथा प्रास्थिति में भिन्नता के कारण उक्तानुसार नियोजित व्यक्ति 'समान कार्य समान वेतन' हेतु अर्ह नहीं है।

10. मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमादेवी व अन्य (एआईआर 2006 एससी 1806) में सुसंगत नियमों से इतर की गई नियुक्तियों को अनियमित माना गया है।

11. रिट पिटीशन संख्या–814 (एस.एस)/2017 संजय कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 12.04.2018 में संविदा पर नियोजित उक्त कार्मिक के नियमितीकरण एवं 'समान कार्य समान वेतन' की मांग सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

12. कृपया ऊपरिउल्लिखित प्रकार के मामलों में तत्परता से यथोचित कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित निर्देशो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

(1) स्वीकृत पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवानियमावली के अनुरूप नियमित चयन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय।

(2) स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी भी दशा में संविदा/दैनिक वेतन/कार्य–प्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जाय। स्वीकृत पदों पर सुसंगत नियमावली से इतर की गयी नियुक्तियां शून्य मानी जायेंगी और **यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।**

(3) विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग की सहमति से कार्याधिक्य (Volume of work) के औचित्य के आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, बाहय स्रोत के माध्यम से केवल सेवाए ली जा सकती है। उक्त सम्बन्ध में नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के मध्य अनुबंध (Bond) निष्पादित किया जायेगा, न कि नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य, उक्त अनुबन्ध में ही दिये जाने वाले पारिश्रमिक एवं ली जाने वाली सेवा/कार्य का स्पष्ट उल्लेख हो।

(4) बाह्य स्रोत से जिन सेवाओं की मूल नियोक्ता को आवश्यकता हो, का सर्विस लेवल ऐग्रीमेन्ट, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मी का जॉब चार्ट सम्मिलित हो निर्मित किया जाय एवं तद्नुसार ही अनुबन्ध पत्र निर्मित कर कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति से 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध (Bond) निष्पादित किया जाय। उक्त अनुबन्ध पत्र में ही पारिश्रमिक की दर और सेवावधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा पूर्व से नियोजित व्यक्ति के अनुबन्ध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रकिया अपनायी जायेगी।

(5) उक्त योजित व्यक्तियों को उनकी सेवाओ हेतु सैनिक कल्याण विभाग अथवा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाय। **किसी भी दशा में विभाग/संगठन द्वारा नियोजित व्यक्ति को सीधे भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें संवर्गीय पदनाम अथवा नियमित पदों के सापेक्ष नियोजन अथवा पद का वेतनमान (Pay Scale) दिया जायेगा।**

(6) **शासन की अनुमति से इतर किये जाने वाले ऐसे भुगतान/नियोजन की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।**

(7) यह भी स्पष्ट किया जाना है कि वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है, दैनिक वेतन कर्मी, कार्य–प्रभारित एवं बाह्यस्रोत के माध्यम से योजित व्यक्ति, जिनकी सेवायें नियोक्ता द्वारा कार्य निष्पादन हेतु ली जा रही है, कोई पद धारण नहीं करते हैं और न ही उनकी प्रास्थिति नियमित कर्मियों की भांति होती है।

12. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नियमित पदधारकों के समान वेतनमान (Pay Scale) प्रदान करने के दावों, जो विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत हों, उनका इस शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में तत्परता से प्रतिवाद किया जाय। जहां आवश्यकता हो एवं समुचित आधार हो, ऐसे आदेशों के विरुद्ध सक्षम मा0 न्यायालय में अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने हेतु शासन की अनुमति यथाप्रक्रिया प्राप्त कर ली जाय।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या 325 /XXVII(7)/2018 दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या: 111 (1) /XXX(2)/2018-30(12)2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः 18 /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पूर्व में निर्धारित दरों को अतिक्रमित करते हुये यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से व्यवस्था उपबन्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते

(क) साधारण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा की श्रेणियां			प्रदेश के भीतर		प्रदेश के बाहर		सड़क किलो मीटर भत्ता (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन की स्थानीय यात्राओं (केवल प्रदेश के बाहर के मामलों में लागू) हेतु अधिकतम सीमा
		वायुयान	रेल	सड़क	आवासीय (Accommodation)	दैनिक भत्ता	आवासीय (Accommodation)	दैनिक भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /टैक्सी	3000	700	6500	800	12	वास्तविक
2	13 ए से 15	इकोनोमी	ए.सी. प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /टैक्सी	1500	600	4000	700	10	वास्तविक
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	1000	450	2250	500	08	200
4	6 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	400	300	750	400	07	150
5	1 से 5	–	स्लीपर क्लास/ साधारण चेयर कार	साधारण बस	250	250	450	300	07	100

(1) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हो वहां पर ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी. बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य कार्मिक डीलक्स/ साधारण बस से यात्रा हेतु अधिकृत होगें।

(2) शासकीय गेस्ट हाउस/विश्राम गृहो/होटल आदि में अवस्थान की दशा में तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अंकित धनराशि जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम सीमा तक दैनिक आधार पर अवस्थान भत्ता, स्तम्भ–7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में बिल/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) उक्त तालिका के स्तम्भ–7 अथवा 9 जैसी भी स्थिति हो, में अनुमन्य दैनिक भत्ता की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(4) निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध होने पर ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। होटल में यदि सुबह का नाश्ता प्रतिदिन के किराये में शामिल है तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 25 % की कटौती कर ली जायेगी। इसी प्रकार यदि होटल के अवस्थान में दो meals शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 50 % की कटौती कर ली जायेगी।

इसी प्रकार यदि तीनों meals अवस्थान में शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 75 %की कटौती कर ली जायेगी।

(5) निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अनुमन्य दरों के स्थान पर स्तम्भ– 7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, का 1.5 गुना दैनिक भत्ता प्रतिदिन के आधार पर अनुमन्य होगा। निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर अवस्थान भत्ता अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) आनुषांगिक व्यय की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(7) सड़क मार्ग से की जाने वाली लम्बी यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता की अनुमन्यता की शर्ते व दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के प्राविधानानुसार पूर्ववत् रहेंगी।

(8) किन्हीं अन्य आदेशों/नियमों में व्यवस्था उपबन्धित होते हुए भी उपरिउल्लिखित तालिका में उल्लिखित दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता की अधिकतम दरें ही दैनिक आधार पर अनुमन्य होंगी अर्थात उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता अतिरिक्त रूप से अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(9) यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में, निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये सड़क किलोमीटर भत्ता उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–10 अनुरूप ग्राह्य होगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक उक्त स्थानीय/अल्प दूरी सम्बन्धी यात्राओं के लिए स्तम्भ–10 में उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ते की धनराशि का 1.5 गुना अनुमन्य होगा। सड़क किलोमीटर भत्ता की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू० में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा श्रेणी			सामान की अधिकतम सीमा एवं दर (30 पैसे प्रति कि.मी. प्रति कुन्टल)	एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान	स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई की प्रतिपूर्ति
		हवाई	रेल	सड़क			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14 एवं उच्च	इकॉनोमी क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एग्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/टैक्सी	60 कुन्टल	50 कि.मी. तक स्थानान्तरण होने की स्थिति में वेतन मात्र के न्यूनतम का 5% तथा 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होने पर वेतन मात्र के न्यूनतम का 20% (अधिकतम रू० 20000/- धनराशि) एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।	एक मोटर कार अथवा एक मोटर साईकिल/स्कूटर
2	13 ए से 13	इकॉनोमी क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एग्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/टैक्सी	60 कुन्टल	–तदैव–	–तदैव–
3	10 से 12	–	ए.सी. टू टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	50 कुन्टल	–तदैव–	–तदैव–
4	5 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	30 कुन्टल	–तदैव–	एक मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/साईकिल
5	1 से 4	–	स्लीपर क्लास/साधारण चेयर कार	साधारण बस	15 कुन्टल	–तदैव–	–तदैव–

(10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति पर भी उक्तानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(11) विदेश यात्राओं हेतु भारत सरकार के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

(12) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वायुयान की श्रेणियां भारत सरकार में तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप होंगी।

(13) उक्त दरें दिनांक 01–02–2019 से लागू होंगी लेकिन इस शासनादेश के जारी होने एवं लागू होने की तिथि के मध्य की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा समाप्ति की तिथि को लागू दरें प्रभावी होंगी। परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के लागू होने से पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(14) यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 1 8 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0-सा0 नि0) अनुभाग-7
संख्या: / XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 फरवरी, 2019 से निम्नानुसार मकान किराया भत्ता को संशोधित/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी-2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, टनकपुर, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र	"अवर्गीकृत श्रेणी" कालम-3 व 4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1	2	3	4	5
1	18000-56900 (लेवल-1)	2500	2100	1800
2	19900-63200 (लेवल-2)	2500	2100	1800
3	21700-69100 (लेवल-3)	2500	2100	1800
4	25500-81100 (लेवल-4)	2500	2100	1800
5	29200-92300 (लेवल-5)	2650	2100	1800
6	35400-112400 (लेवल-6)	3200	2500	1900
7	44900-142400 (लेवल-7)	4050	3150	2250
8	47600-151100 (लेवल-8)	4300	3350	2400
9	53100-167800 (लेवल-9)	4800	3750	2700
10	56100-177500 (लेवल-10)	5050	3850	2850
11	67700-208700 (लेवल-11)	6100	4750	3400
12	78800-209200 (लेवल-12)	7100	5550	3950
13	123100-215900 (लेवल-13)	11100	8000	6200
14	131100-216600 (लेवल-13A)	11800	8000	6800
15	144200-218200 (लेवल-14)	12000	8000	7000
16	182200-224100 (लेवल-16)	12000	8000	7000
17	225000 (लेवल-17)	12000	8000	7000

2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान

किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6. यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जायेंगे।

7. मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 19 (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

संख्या: —/XXVII(7)/18–50(14)/2017

देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पर्वतीय विकास भत्ता

(2) सीमान्त विकास खण्ड भत्ता

(3) वाहन भत्ता

(4) सचिवालय विशेष भत्ता

(5) सचिवालय परिचालकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता

(6) सचिवालय चालकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता

(7) नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पायलटों/अभियन्ताओं तथा कर्मचारियों को देय योग्यता भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष उड़ान भत्ता तथा एविएशन भत्ता।

(8) पुलिस विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी एवं धुलाई भत्ता

(9) चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फार्मेसिस्ट को अनुमन्य इंचार्ज भत्ता एवं धुलाई भत्ता

(10) नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को नर्सिंग एवं मैट्रिन (पौष्टिक आहार भत्ता) भत्ता, वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता

(11) अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को अनुमन्य विशेष प्रैक्टिस बन्दी भत्ता

(12) राजस्व विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को अनुमन्य स्टेशनरी भत्ता, पोशाक भत्ता एवं कार्यालय किराया भत्ता।

2. नई नियुक्ति/पदोन्नति/एम0ए0सी0पी0 इत्यादि की स्थिति में पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्त भत्ते सम्पुष्ट अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सापेक्ष अनुमन्य होंगे।

3. उपरोक्त भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 20 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्या: २1 /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादून: दिनांक: 3 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों को दिनांक 01–02–2019 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता।
(2) प्रतिनियुक्ति भत्ता।
(3) प्रशिक्षण भत्ता।
(4) जी० पी० एफ० पासबुक रखरखाव के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।
(5) कैश (रोकड़) भत्ता।
(6) द्विभाषी भत्ता/कम्प्यूटर भत्ता।
(7) आई०पी०एफ०ओ० भत्ता (कोषागार/उपकोषागार)।
(8) सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता।
(9) स्नातकोत्तर भत्ता।
(10) राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों को देय लेखन सामग्री भत्ता।
(11) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नियोजन/डिजाइन/शोध/प्रशिक्षण अन्वेषणालय हेतु विशेष वेतन एवं सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता।
(12) अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
(13) अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
(14) स्पेशल टॉस्क फोर्स (एस.टी.एफ.) को अनुमन्य विशेष भत्ता।
(15) सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: २1 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक ऑडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या:–266/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30, दिसम्बर, 2016

विषय:– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबधित अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी समझे जाएगें।

2– यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरो पर (जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 08.06.1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई

–(1/6)–

अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, यू0जी0सी0 के मानकों के अन्तर्गत आच्छादित शिक्षकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3– (1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, जो दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ हों।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/डैथ एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रकिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4– (1) <u>परिलब्धियाँ–</u> पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/डैथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) <u>वेतन–</u> वेतन का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–3 के अनुसार मूल वेतन से तात्पर्य संशोधित ढाँचे में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित स्तर (Level) में आहरित वेतन से है। जिसमें किसी प्रकार का विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन आदि सम्मिलित न होगा।

(3) सेवानैवृत्तिक/डेथ–कम–ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5– <u>पेंशन–</u> पेंशन का आगणन पूर्व की भाँति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा। पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू. 9000/– होगी। पेंशन की अधिकतम सीमा रू. 112500/– (राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन रू. 225000/– के 50% के बराबर) होगी।

–(2/6)–

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2016 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय:–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

7– <u>पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–</u>

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह के अंतिम दिवस में आहरित वेतन

–(3/6)–

या 10 माह की औसत परिलब्धियाँ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

(4) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

8– <u>सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी–</u>

(अ) मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्न प्रकार से संशोधित की जायेगी:–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ब) सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/डैथ ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

9– <u>पारिवारिक पेंशन–</u>

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन की धनराशि रू0 2,25,000/– के 30 प्रतिशत तक सामान्य दर पर सीमित होगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर (50%) पर पारिवारिक पेंशन निम्नवत् अनुमन्य होगी:–

-(4/6)-

(क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(ख) पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा पूर्ववत समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत यथावत है।

10– <u>पेंशन के एक भाग का राशिकरण–</u> पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भांति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

11– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

12– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

13– दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

-(5/6)-

संख्या:-267/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग-10 देहरादून : दिनांक :30,दिसम्बर, 2016

विषयः- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-एक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या-289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी समझे जाएगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जाएगा।

2- <u>इन आदेशों के अन्तर्गत:-</u>

(क)- वर्तमान पेंशनर अथवा वर्तमान पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31.12.2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)- वर्तमान पेंशन' अथवा 'वर्तमान पारिवारिक पेंशन' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) अथवा मूल पारिवारिक पेंशन जैसा कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर

-(1/4)-

निर्धारणोपरान्त, वर्तमान पेंशनर अथवा वर्तमान पारिवारिक पेंशनर को देय हो, से है । इसमें 80 वर्ष एवं अधिक की आयु पर देय अतिरिक्त पेंशन शामिल नहीं होगी।

3– ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा, जिसे दिनांक 01.01.2016 के सन्दर्भ में मूल पेंशन माना जायेगा।

उदाहरण 1 :– माना कि पेंशनभोगी 'अ' छठवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन बैण्ड 37400–67000 ग्रेड वेतन 10000 से दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को सेवानिवृत्त हुआ एवं सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन रू.65250 था।

छठवें वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	32625
सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन (32625X2.57)	83846.25 या 83847

उदाहरण 2 :– माना कि पेंशनभोगी 'ब' चतुर्थ वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतनमान 3000–100–3500–125–4500 से दिनांक 31 जनवरी, 1989 को सेवानिवृत्त हुआ एवं सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन रू 4000 था।

चौथे वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	1940
छठवें वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	12600
सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन (12600X2.57)	32382

4– यदि राशिकरण भुगतान की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो उपरोक्तानुसार निर्धारित पेंशन के भुगतान के समय राशिकृत पेंशन की धनराशि घटा कर मासिक पेंशन दी जायेगी।

5– दिनांक 01.01.2016 से पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू 9,000/– (बुजुर्ग पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) होगी। पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन धनराशि रू0 2,25,000/– के क्रमशः 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत के बराबर होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

-(2/4)-

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य है, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी जिस पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
100 या अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

टिप्पणी– (1)–अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/– प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन रू0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 2,000/–, 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, (i) मूल पेंशन रू0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 3,000/– प्रतिमाह होगी।

(2)–उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार–पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से अंकित करेंगे।

7– जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पुनर्नियुक्ति पर हों तथा उनकी मंहगाई राहत स्थगित हो, तो दिनांक 01.01.2016 के बाद ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत पूर्व की भांति पुनर्नियुक्ति की अवधि में स्थगित रखी जाय।

8– मंहगाई राहत:– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

9— इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने जाने की अपेक्षा न की जाये।

10— पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्या:— /45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6— निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

—(4/4)—

संख्या- / XXVII(10)/2017/ग0(3)2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून दिनांक 17 जून, 2017

विषय– उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमन्यता विषयक।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश संख्या–45/73/97–पी एण्ड पी डब्लू(जी), दिनांक 02.07.1999 के अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

3. शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को वेतन पर महंगाई भत्ते के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत का भुगतान अनुमन्य किया जाये।

4. प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवाओं में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक

क्रमशः पृष्ठ–2

-(2)-

[illegible] दिया जा रहा है, कि प्रशासनिक प्रभाव से [illegible] [illegible] के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत का भुगतान [illegible] किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

5. इस शासनादेश के क्रम में सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर राहत का भुगतान प्रारम्भ किये जाने हेतु अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन पर प्रचलित दर से महंगाई राहत का भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 175/XXVII(10)/2017/08(36)07 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– - / XXVII(7)02/2010
देहरादून: दिनांक 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–98/XXVII(7)02/2010 दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 136% के स्थान पर 139% की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रुपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No — /XXVII(7)02/2010
Dehradun: Dated , 2017

Office Memorandum

Subject: **Grant of Dearness Relief to State Government Pre-revised Civil /Family Pensioners.**

The Undersigned is directed to say that to compensate the rise in the Consumer Price Index the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates for pensioners w.e.f. 01-07-2017 @ 139% instead 136% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 98/XXVII(7)02/2010 Dated 17 May, 2017 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th Pay Commission.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Principal Secretary.

-2-

संख्या- 271 /XXVII(7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

No271/XXVII(7)02/2010, above dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries/Secretary Incharge, Govt. of Uttarakhand.
2. Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhandwith the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
3. All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
5. Accountant General Utrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttrakhand.
7. Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 100 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
10. Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Radha Raturi)
Principal Secretary

C1887
21/05/2017

संख्या /2017/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून: दिनांक 05 मई, 2017

विषय– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 266/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–12 में प्राविधान किया गया था कि 'पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र के आधार पर पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन, राशिकरण एवं नकदीकरण की देयता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

संख्या– 73/XXVII(7)7/2017

देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इस नियमावली में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" उल्लिखित है उसके स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाय।

मूल नियमावली, 2006 के नियम–2 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;	(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;

1

नियम-2 (ग) (तीन) का संशोधन।

3. मूल नियमावली के नियम-2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर-(तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।	(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता, अविवाहित भाई और बहन।

नियम-13(2)(तीन) का संशोधन।

4. मूल नियमावली के नियम-13(2)(तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।	(तीन) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, अनेक संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।

नियम-13(4)(एक) का संशोधन।

5. मूल नियमावली के नियम-13(4)(एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या	अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

नियम-16 (1) (अ) का संशोधन।

6. मूल नियमावली के नियम-16 (1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्

नियम–16 (1) (अ) (क) का संशोधन।	7. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

निम्नलिखित मामलों में (एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा और (दो) हाईस्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।	(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या उस पर आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा हेतु।

नियम–16(1)(ब) का संशोधन।	8. मूल नियमावली के नियम–16(1)(ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत्त वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्;	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, दुपाहिया अथवा चौपाहिया वाहन के क्रय/व्यापक मरम्मत, कम्प्यूटर लैपटॉप अथवा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण अथवा पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये।

9. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (ब) (एक) व (दो) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–16(1)(स) का संशोधन	10. मूल नियमावली के नियम–16(1)(स) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करनेके पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते मे विद्यमान धनराशि मे निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्; (क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है; (ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये; (ड.) पैतृक गृह का पुनरूद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,	अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्; (क) भूमि/भवन/फ्लैट के क्रय/अर्जन अथवा पैतृक गृह अथवा स्वयं के मकान बनाने/मरम्मत/पुनरूद्धार के लिये अथवा उक्त हेतु लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये।
(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,	

नियम–17(1) का संशोधन।

11. मूल नियमावली के नियम–17(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके	नियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि खाते में जमा धनराशि के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है: परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।	

12. मूल नियमावली के नियम 17 की टिप्पणी–1, टिप्पणी–2(क), टिप्पणी–2(ख), टिप्पणी–2(ग) व टिप्पणी–4 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

13. मूल नियमावली के नियम 19 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–23 का संशोधन।

14. मूल नियमावली के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे मे औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा। (1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो– (क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये या अधिक हो के मामले में 30,000 रूपये, (दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो	सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अथवा रू0 30,000 जो भी कम हो, अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।

जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रूपये या अधिक किन्तु 13, 500 रूपये से कम हो, के मामले में 27,000 रूपया, (तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रूपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रूपये से कम हो, के मामले में 12,000 रूपया, (चार) (क) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये से कम हो, के मामले में 10,000 रूपया; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रूपये से अधिक नहीं होगी; (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	

नियम–24 के उप नियम (4) व (5) का संशोधन।

15. मूल नियमावली के नियम–24 के उप नियम (4) व (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।
(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425(क) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे	(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ

का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।
(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्ररूप 425 (क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्रारूप 425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी महालेखाकार द्वारा जारी अद्यावधिक जी0पी0एफ0 वार्षिक लेखा पर्ची से लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या 205/XXVII (10)/2018-27(8)2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-10 देहरादून : दिनांक : 15, अक्टूबर, 2018

विषय :सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/45/XXVII/2016 दिनांक 30.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया गया।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016-P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिक के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। साथ ही, पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ-2

3. उक्तानुसार पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 06, जुलाई, 2017 द्वारा 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 व 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के सम्बन्ध में वेतन प्रकमवार तालिकायें निर्गत की हैं।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

5. प्रकल्पित आधार पर भिन्न–भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण वर्तमान में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार पोर्टल से संलग्न प्रारूप पर ऑनलाईन करते हुये वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पेंशन भुगतानकर्ता जनपद कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे। तत्पश्चात कोषागार/उपकोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के मूल पी0पी0ओ0 पर उक्तानुसार आंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अंकित कर भुगतान किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन का विवरण पेंशनर व पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी प्रेषित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर कोई एरियर देय नहीं होगा तथा पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

क्रमशः पृष्ठ–3

शासनादेश संख्या: 205/XXVII(10)/2018/27(08)17 दिनांक 15.10.2018 का संलग्नक प्रारूप।

पेंशनर का विवरण –

(a) जी०आर०डी० संख्या: .... (b) बैंक अकांउट नं0........................
(c) पेंशनर का नाम:........................ (d) पेंशन का प्रकार......(अधिवर्षता/पारिवारिक)
(e) पी०पी०ओ० संख्या:........................ (f) पद का नाम:........................
(g) आहरण वितरण अधिकारी कोड:........................ (h) विभाग का नाम:........................
(i) जन्म तिथि:........................ (j) नियुक्ति की तिथि:........................
(k) सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि:........................ (l) अर्ह सेवा अवधि ......वर्ष......माह......दिन
(m) पैन नं0:........................ (n) मोबाइल नं0:........................
(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम:........................ (p) जन्म तिथि ....
(q) पैन नं0........................ (r) मोबाइल नं0:........................

1. सेवानिवृति की तिथि को वेतन/पेंशन –

(a) सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोग:........................
(b) वेतनमान:........................ (c) वेतन:........................
(d) मूल पेंशन:........................ (e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर......) तक...
(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर......) से......

2. प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –

क्र0सं0	विवरण	प्रकल्पित वेतन	पेंशन
1	चौथा वेतन आयोग		
2	पाँचवा वेतन आयोग		
3	छठा वेतन आयोग		
4	सातवां वेतन आयोग		
5	पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर)		
6	पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर)		

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

कोषागार प्रयोगार्थ:

आईडी:

लेखाकार   सहायक कोषाधिकारी   मुख्य/वरिष्ठ/
कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

क्रम संख्या–55

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018

देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018'** पर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 17 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)

राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की सेवावधि के उपरान्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित:

भाग–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से पूर्व राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों पर उनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होगा तथा कार्मिक की मृत्यु की दशा में ऐसे कार्मिक के आश्रितों पर लागू होगा;

परन्तु यह कि दिनांक 01.10.2005 से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक नई अंशदान पेंशन योजना से शासित होंगे;

परन्तु यह और कि ऐसे कार्मिक की सेवा जो–

(क) पूर्णकालिक नियोजन की न हो;

(ख) संविदा, कार्य–प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, तदर्थ व नियत वेतन में की गई सेवा;

(ग) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवाविस्तार/पुनर्नियोजित/सत्रान्त लाभ के रूप में की गई सेवा;

(घ) एक सेवा से दूसरी सेवा के मध्य सेवा व्यवधान।

(ङ) एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण काल/बाध्य प्रतीक्षा काल के अतिरिक्त गैर अनुमन्य अनुपस्थिति की अवधि;

(च) बिना स्वीकृत उपभोग किये गये अवकाश अवधि;

(छ) सेवा में किसी भी प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति जिसकी स्वीकृति हेतु अवकाश शेष न हो;

उपरोक्त खण्ड (क) से (छ) तक उल्लिखित सेवाओं के लिये पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:-

(क)'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख)'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग)'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ)'पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी' से समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ.)'पेंशन' में उपदान सम्मिलित है, सिवाय उस स्थिति में जब मात्र सेवा उपदान देय हो, वह पेंशन का भाग नहीं होगा।

(च.)'परिलब्धि' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार में परिभाषित है।

(छ.)'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति है जो संविदा, कार्य-प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियत वेतन में नियुक्त न हो, और जिसका चयन सेवा संबंधित सेवानियमों के अनुसार किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ज.)'स्थायी एवं अस्थायी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राजकीय विभाग में स्थाई व अस्थाई पद

पर मौलिक रूप से नियुक्ति के पश्चात् की गई हो;

(झ) 'सरकारी सेवक' से ऐसे सरकारी सेवक (चाहे वह किसी श्रेणी के हों) अभिप्रेत है, जो सरकार के अधीन पेंशन अर्हता पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

(ञ) 'अर्हकारी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक/नियमित रूप से की गई की सेवावधि है।

(ट) 'सेवानिवृत्ति' से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवा से पदमुक्त अभिप्रेत है;

(ठ) 'विहित' से नियमों में विहित अभिप्रेत है।

भाग–दो

पेंशन

पेंशन हेतु अर्हता

4. पेंशन के लिये सेवा निम्न शर्तों के अधीन अर्हकारी होगी–

(क) सेवा राज्य सरकार के अधीन मौलिक तथा नियमित रूप से की गई हो।

(ख) सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु तब अर्हकारी सेवा समझा जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक किसी अधिष्ठान में स्थायी/अस्थायी रूप से सृजित किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

पेंशन की धनराशि

5. पेंशन की धनराशि सेवा के अन्तिम दिवस को आहरित मूल वेतन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व के 10 माह की औसत वेतन, जो भी कार्मिक हेतु लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी,

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी और विहित अधिकतम पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

पेंशन अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि का निर्धारण	6.	(क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि का एक वर्ष माना जायेगा तथा छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।) (ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी। (ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी; परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी।

भाग–तीन
सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान	7.	(1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित मासिक परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हों, से अधिक नहीं होगी। (2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगी–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना

06 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक, जो कम हों, से अधिक नहीं होगी।

भाग–चार

पारिवारिक पैंशन

पारिवारिक पैंशन 8. (1) पारिवारिक पैंशन की गणना अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर साधारणतया की जायेगी;

परन्तु यह कि पारिवारिक पैंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि से अधिक न हो।

(2) सरकारी सेवक/पैंशनर की मृत्यु की दशा में परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक/पैंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पैंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पैंशन की अनुमन्यता हेतु पात्रता 9. पारिवारिक पैंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" के निम्न सदस्य पात्र होंगे:–

(1) पत्नी/पति।

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को

इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो। उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

(4) दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी/पति तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा।

(5) राजकीय कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी-

(क) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जायेगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहराई जाती ।

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी, जब कि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिये पात्र नहीं रहे हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निशक्त संतान नहीं है।

पेंशन के एक भाग का राशिकरण

10. (क) कुल आगणित पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत की धनराशि का राशिकरण राज्य सरकार द्वारा नियत सूत्र के अनुसार अनुमन्य होगा। पेंशनर को यह सुविधा उसकी सहमति के आधार पर देय होगी।

(ख) राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पी०पी०ओ० निर्गत होने के तीन माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

पेंशन में वृद्धि

11. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी:—

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत

उद्देश्य और कारणों का ज्ञापन

राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक लाभों और पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति हेतु अद्यतन कोई अधिनियमन नहीं है, जिससे बहुधा उक्त सुविधाओं को अनुमन्य कराए जाने में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ विधेयक, 2018 सदन के पटल पर पुरःस्थापित किये जाने का निर्णय लिया है।

2. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधायी/218-2018-100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

(SIEMAT)

STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT & TRAINING

Nanoorkhera Tapovan Enclave Dehradun Phone/Fax : 0135-2780304

E-mail : uksiemat@gmail.com